हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 अक्तूबर, 1977

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 18 अक्तूबर, 1977

पृश्ठ

संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर (2)1

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों

लिखित उत्तर (2)22

अतारांकित प्र न एवं उत्तर (2)52

वि ोशाधिकार प्र न (2)56

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव (2)59

वर्श 1977–78 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) :–

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनूमान (2)59

(i) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (2)60–86

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 18 अक्तुबर, 1977

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रणसिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहिबार, अब सवाल होंगे।

Embezzlement Cases Detected in the State

***58. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) the total number of embezzlement cases detected in the Panchayats during the years 1973-74, 1974-75, 1976-77 and 1977-78 to date in the State;

(b) the total amount involved in the embezzlement cases referred to in part (a) above and the steps taken by the Government to recover the same ?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this quesiton which has been granted. The Communication received from the Minister for Development and Panchayats is as under:-

"Tara Singh

Development and Panchayat, Minister D.O. No. LA2(DPH)-77/

Haryana Dated Chandigarh, the

13-10-1977.

Subject: - Starred Assembly question No. 58.

My dear Brig.

The starred Assembly question No. 58, asked by Rao Dalip “Singh, M.L.A. has been fixed for answer on 18-10-77. The reply to the Assembly questions is not ready as the required information is awaited from the Deputy Commissioners.

I shall be grateful if you kindly extend the time for answering the question under proviso (2) of Rule 41(II) of the Rules of Procedure and conduct of business in the Panjab legislature Assembly, 1950. This question may be included in the list of questions for any date after one month.

with regards. Yours sincerely,

Sd/-

(Tara Singh)

Shri Brig. Ran Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.”

तारांकित प्र न संख्या 87

यहा प्र न पूछा नही गया, कयोंकि माननीय सदस्य, श्री गुलजार सिंह, इस समय सदन मे उपस्थित थे।

तारांकित प्र न संख्या 91

यहा प्र न पूछा नही गया, कयोंकि माननीय सदस्य, चौधरी बीरेन्द्र सिंह, इस समय सदन मे उपस्थित थे।

State Lotteries

***99 Sathi Ayodhya Parshad:** Willl the Minister for Finance be pleased to state the net profit accrued from the sale of lottery tickets to the Government so far together with the time by which this scheme is likely to continue?

वित्त मंत्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक): 31–3–77 तक सरकार को लाटरी टिकटों की बिक्री से 422.16 लाख रूपये का भाुद्ध लाभ हुआ सरकार ने अभी अभी लाटरी योजना की कार्य प्रणाली पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि इसको जारी रखा जाये।

श्री मूल चन्द जैन: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि 31–3–76 तक और 31–3–77 तक जो साल खत्म हुए है, उनमे लाटरी की टिकट बिकने के बाद खर्चा निकालकर सरकार को कितनी आमदनी हुई है ?

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः 31–3–33 तक जो इंकम हुई है, वह 86 लाख 84 हजार रूपये हुई और ऐक्सपैंडीचर आंन कमी ान 26 लाख 980 हजार रूपया हुआ। ऐक्सपैंडीचर आन प्राइसिजज निकालकर केवल 18 लाा 8 हजार रूपये की आमदनी हुई है।

श्री मूल चन्द जैनः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि ऐसी आमदनी के साधन को जिस से जनता को जुए बाजी की आदत पड़ती है, और जिस साधन से केवल 18 लाख रूपया खर्चा निकालकर बचत होती है, बंद नही किया जा सकता ?

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः जहां तक गैम्बलिंग का सवाल है, हरियाणा लाटरी की टिकटें हरियाणा मे बहुत कम बिकती है। ये टिकटें दूसरे स्टेटों मे ज्यादा बिकती है। दूसरे आजकल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जब तक भाुद्ध लाभ मिलता रहेगा तब तक के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको जारी रखा जाये।

श्री फतेह चंद विजः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि जो मुनाफा बजाया है, इसमे वह रूपया भी भाामिल है, जो क्लेम नही हुआ है, या वह रूपया अगल से रखा हुआ है। जो पैसा अभी तक क्लेम नही हुआ वह कितना है ?

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः क्लेम के लिए 90 दिन का समय होता है और 90 दिन के लिये डायरैक्टर एक्सटैं ान दे सकता है। 30–6–77 तक जो अन क्लेम्ड रूपया पड़ा है, वह 53 लाख 91 हजार रूपया है।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, यह जो लाटरी की स्कीम है, इसको चलाने से खर्चा ज्यादा है और आमदनी बहुत कम है। क्या यह स्कीम जो टैक्से ान के कायदे है, कानूल है, उनके विरूद्ध नही है।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः यह सैप्रेट क्वै चन है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, इस मद से जो आमदनी स्टेट सरकार को होती है, उसको ध्यान मे रखते हुए कितनी ही स्टेट्स ने लाटरी स्कीम को बन्द कर दिया है। क्या हमारी सरकार भी उन स्टेट्स का अनुकरण करने के लिए तैयार है ?

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः अभी इस साल तो तैयार नही है। सरकार की वित्तीय स्थिति को दखेते हुए, डिवैल्पमैंट के काम को चलाने के लिए और फ्लड कन्ट्रोल के लिये पैसे की आव यकता को देखते हुए इस स्कीम को चालू रखना है। जैसा कि मैंने ब्यान किया है कि जब तक भाुद्ध लाभ इस स्कीम से मिलता रहेगा, तब तक इसे चालू रखेंगे। जब भाुद्ध लाभ नही मिलेगा, तो हम इस स्कीम को ड्रौप कर देंगे।

Up gradation of girl Schools in the State

&106. Chaudhri Shiv Ram Verma: Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government gives special attention for up grading the Girls Schools in the State during the year 1977-78, and if so, the criteria thereof?

ि ाक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): सरकार की चेश्टा है कि अधिक से अधिक स्कूलों को अपग्रेड किया जाये। इस कार्यवाही मे लड़कियों के स्कूलों को भी प्र्याप्त ध्यान मिलेगा। लड़कियों के स्कूलों का स्तर बढ़ाने के लिये कोई नार्म निर्धारित नही है, परन्तु प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने का जो क्राइटेरिया रखा गया वह यह है कि जो गांव पंचायत के है यसा म्युनिसिपिल कमेटी मे होते है, उनको बिल्डिंग के तौर पर 11 कमरों का प्रबंध करना पड़ता है। पांच एकड़ जमीन का प्रबंध करना पड़ता है, इसमे प्ले–ग्राउंड भी भाामिल है। स्टूडैंटस की पिछले छः महीने की एवरेज स्ट्रैंथ 150 होनी चाहिए। ऐसे प्राइमरी स्कूल को मिडल स्कूल बनाने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। दूसरे उस स्कूल के पांच किलोमीटर के आसपास मे कोई मिडल स्कूल नही हो तो उसको प्रैफ्रैंस दी जायेगी। जिस गांव या कस्बे मे स्कूल अपग्रेडिंग की मांग की जाती है, उसके आबादी एक हजार या इससे ज्यादा हो।

मिडल स्कूल से हाई स्कूल बनाने का जो क्राइटेरिया है, वह इस तरह से है कि बिल्डिंग के कम से कम 15 कमरे होने चाहिए। जमीन आठ एकड़ होनी चाहिए। यह जमीन स्कूल की बिल्डिंग और खेल का मैदान मिलाकर होनी चाहिए। स्टूडैंटस की संख्या कम से कम एवरेज पिछले आठ महीने की 300 होनी चाहिए और आठ किलोमीटर के एरिया मे दूसरा स्कूल नही होना चाहिए। उस गांव की या कस्बे की आबादी दो हजार होनी चाहिए। इन भार्तो पर स्कूलों को अपग्रेड करने का क्रइटेरिया फिक्स किया गया है।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, पिछले जुलाई सै ान मे हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह घोशित किया था कि हम अपने प्रांत मे लड़कियों के स्कूलों को ज्यादा अपग्रेड करेंगे और देहातों मे ज्यादा लड़कियों के स्कूल खोलेंगे। क्या मंत्री महोदया यह बताने का कश्ट करेंगे कि जुलाई से आज 18 अक्टूबर तक हरियाणा मे लड़कियों के कितने स्कूल खोले है ?

कर्नल राव राम सिंहः जहां तक नए स्कूल खोलने का ताल्लुक है, यह अलग सवाल है। इसके लिये अलग से नोटिस दे, तो जवाब दे दिया जायेगा। जहां तक लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने की बात है, उसमे कई स्कूलों को कंसलीडर किया जा रहा है। इस वक्त सरकार केपास फाइनैंस की कमी है। स्कूलों की अपग्रेडिंग के लिये कोई स्पै ान बजट की अलाटमैंट इस साल मे नही की गई इसलिये फाइनैंस की कमी होने की वजह से कुछ

स्कूलों को अपग्रेड किया जायेगा, लेकिन जितने सरकार चाहती है, उतने स्कूलों को अपग्रेड नही किया जा सकता।

चौधरी पीर चंदः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे मेरे हल्के रतिया खास और जाखल के अंदर जो स्कूल है, वह गवर्नमैंट की भार्ते पूरी करते है, उनको कब तक हाई कर दिया जायेगा ? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हें कि ग्राम अलिसदर मे लड़कियों व लड़कों का स्कूल है, जहां पर3000 आबादी भी है, और दूसरी सभी भार्ते उनको अपग्रेड करने के लिये पूरी तरह से गौर किया जायेगा।

श्री लछमन सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह क्राइटेरिया फिक्स करते समय सब माउनटेनियस एरियाज का भी कोइ ख्याल रखा गया है या नही ?

कर्नल राव राम सिंहः यह आनरेबल मैंबर का एक बहुत सुझाव है। इस वक्त तक तो यह क्राइटेरिया कंसीडर नही किया गया, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा सुझाव है और सब माउंटेनियस एरिया को इसके लिए कंसीडर किया जायेगा।

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने इस वक्त तो फाइनैंसिज की कमी बताई, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहताह ूं कि अगर किसी गांव का स्कूल आपके द्वारा निर्धारित सभी भार्ते पूरी करता हो और उसकी अपग्रेडे ान के

लिये नीचे से रिकमैंड होकर भी आ गया हो, तो क्या 1978–79 मे उसे जरूर ही अपग्रेड कर दिया जायेगा ?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, पिछली सरकार तो ज्योतिशियों से यह पूछ कर बता देती थी कि हम अगले साल यह करेंगे, वह करेंगे हम असलीयत मे वि वास रखते है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते है इस समय कि कंसीडर किया जायेगा। ज्योतिशियों से इस वक्त हमारा पूछने का कोई विचार नही है।

श्री दीप चंद भाटियाः स्पीकर साहब, हमारे यहां देहात मे भाड़सेतरी मे मिडल स्कूल है उसको अपग्रेड करने के लिये वहां के लोगो ने 70 जिार रूपया सरकार को दिया है। इस पैसे को दिये तीन चार महीने हो गये, लेकिन अभी वह स्कूल अपग्रेड नही किया गयां क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसकी क्या वजह है ?

कर्नल राव राम सिंहः जैसे कि मैंने अर्ज किया कि स्कूलों को अपग्रेड करने का क्राइटेरिया यह है कि एक तो कमरे कम्पलीट होने चाहिएं, दूसरे जमीन पूरी हो। जो 700000 रूपया आपने डोनेट किया है उसके लिये धन्यवाद। इसके अतिरिक्त, जो खर्चा किसी गांव की पंचायत या कोइ दूसरी संस्था कंट्रीव्यूट करती है उसके अलावा सरकार का जो खर्चा होता है, वह एक स्कूल पर इस प्रकार से होता है। अगर प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल बनाना हो, तो सरकार को एडी ानल सैलरीज आफ टीचर्ज

पर तकरीबन 26000 रूपया चाहिए और यदि मिडल स्कूल से हाई स्कूल बनाना हो, तो उसके लिए बाई वे आफ एडी ानल सैलरीज फार स्टाफ 48000 रूपया और चाहिए। तो आने जो 700000 रूपया कंट्रीव्चूट किया है, वचह तो इन चीजों पर इस्तेमाल किया जायेगा जैसे साईंस के इक्विपमैंटस खरीदने है, स्कूलों का फर्नीचर लाना है या दूसरी जो सुविधाएं एक स्कूल मे जरूरी है। लेकिन मास्टर्ज की तनख्वाह देनी पड़ेगी वह तो सरकार को देनी पड़ेगी और उससे सरकार का 48000 रूपये का खर्चा बढ़ेगा। जब इस खर्चे का प्रबंध हो जायेगा, तो जरूर अपग्रेड कर दिये जाएंगे। इस विशय मे एक और सुझाव है जो मैं आप लोगो के सामाने रखना चाहता हूं कि हमारा विचार यह है कि हर हल्के मे कम से कम एक स्कूल अपग्रेड अव य कर दिया जाये। 90 हल्के है, एक स्कूल को अपग्रेड करने के लिये तकरीबन आसतन 30000 रूपया चाहिये। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 90 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिये हमें लगभग 27 लाख रूपया चाहिए। .....(व्यवधान).....

श्री फतेह चंद विजः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्श 1977–78 के दौरान किन्ही स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, अगर किया गया है तो वह कितने है और कहां कहां है ? .....(व्यवधान).....

कर्नल राव राम सिंहः जी हां, 1977–78 मे स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। 1977–78 मे यह स्कूल अपग्रेड किये गये है.....

श्री अध्यक्षः स्कूलों का नम्बर ही बता दीजिये, उन्होंने नम्बर ही तो पूछा है....

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, हमने 6 स्कूल अपग्रेड किये है।

श्रीमती भाांति देवीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि एक ओर तो उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है, यह तो बड़ी खु ाी की बात है, मगर दूसरी ओर बारबार इन्होंने यह कहा है कि अगले साल मे अपग्रेड करेंगे क्योंकि इस साल पैसे की कमी है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि आपको बोर्ड भार्त या पाबंदी नही रखनी चाहिये कि वह आपकी ये ये भार्तें पूरी कर लेगा तो उस स्कूल को अपग्रेड कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः सवाल तो कोई नही बना। यह तो एक सुझाव है।

कर्नल राव राम सिंहः जहां तक पैसे की कमी का सवाल है, अगरइसका सैपरेट नोटिस दिया जायेगा तो मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि वह इसका जवाब तैयार करके देंगे।

स्वामी अग्निवे ाः आदणीय अध्यक्ष महोदय, आज से 28 साल पहले जब हमारा संविधान बना और इस दे ा पर लागू हुआ तो उस संविधान मे यह स्वीकार दिया गया था और साफ तौर से उसमें यह लिखा था कि प्राइमरी ि ाक्षा सब के लिये उपलब्ध

होगी, लेकिन आज तक भी हरियाणा सरकार हर गांव मे प्राइमरी स्कूल नही खोलना चाहती। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नही होगा जहां तक अपग्रेडे ान का सवाल है, वह तो यहां तक है लेकिन जहां तक लडकियों की ि ाक्षा के बारे मे पाठ्यक्रम पढ़ाते है, वह लड़कियों के लिये नही होना चाहिए, उसमे परिवर्तन होना चाहिये।

कर्नल राव राम सिंहः जहां तक मैं समझ पाया हूं स्वामी जी का सवाल है कि लड़कियों के सिलेबस को चेंज करना चाहिए। इसके लिये सैप्रेट नोटिस चाहिये।

स्वामी अग्निवे ाः प्राइमरी स्कूलों के लिये कोई भार्त नही लगानी चाहियें

कर्नल राव राम सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रइमरी स्कूलों के लिये भार्तो का सवाल है, वह तो रहेगी ही जैसे कि गांव जो है, वह लैण्ड और बिल्डिंग दे। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई गांव या भाहर स्पैसिफिके ान्ज के अनुसार बिल्डिंग और लैण्ड हमें देगा, हम वहां पर जल्दी ही स्कूल खोलेंगे।

श्री मूल चंद जैनः क्या ि ाक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों को अपग्रेड करने की बात का जहां तक ताल्लुक है, यह सभी भार्ते लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेउ पर भी लागू होगी, यदि हां, तो क्या यह चीफ मिनिस्टर के द्वारा दी गई

अ योरैंस का उल्लंघन नही है, जो उन्होंने इस हाउस मे जुलाई के सै ान मे दी है ?

कर्नल राव राम सिंहः जहां तक यह क्राइटेरिया ले डाउन करने का ताल्लुक है, यह लड़के और लडकियों दोनों स्कूलों पर लागू होता है। लड़कियों को भी पढ़ाने के लिये कमरे चाहिये और लड़को को भी पढ़ाने के लिये कमरे चाहिये जहां तक जमीन का संबंध है, वह ज्यादातर स्पोर्टस ग्राउंडस की वजह से यह क्राइटेरिया रखा गया है। अगर लड़के खेलेंगे तो लड़कियों के लिये भी खेलना जरूरी हैं जहां तक मैं जानता हूं हमारी यह पालिसी है कि एजूके ान के साथ साथ स्पोर्टस को भी यानी खूलकूद को भी उतनी ही महत्व दिया जाये ताकि हरियाणा के स्पोर्टसमैन भी ऊपर आएं। इसलिये यह जमीन और बिल्डिंग का क्राइटेरिया ले डाउन किया गया है।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा या था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस मे अ योरैंस दिया था कि लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने के बारे मे जहां से भी डिमांड आयेगी, उसका पूरा किया जायेगा। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वे अब जो कुछ कह रहे है, क्या वह उस अ योरैंस के खिलाफ नही है ?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त जो कुछ फरमाया था, उसको पूरी तरह से

फालों किया जा रहा है। उनका मतलब यह था कि जहां पर लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने का सवाल है वहां पर लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने के लिये प्रैफ्रैंस दिया जायेगा। क्योंकि लड़के तो साईकिल पर चढ़कर आठ दस किलोमीटर जा सकते है, लेकिन लड़कियों के लिये कठिन होता है, इसलिये जहां पर दोनों कैटेगरी के स्कूलों को अपग्रेड करने का सवाल आयेगा, वहां पर लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने पर प्रैफ्रैंस दिया जायेगा। यह पालिसी चीफ मिनिस्टर के कहने के अनुसार है।

चौधरी ई वर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े हुए इलाके है, वहां स्कूलों को अपग्रेड करने के लिये प्रैफ्रैंस दिया जायेगा और वहां पर मैचिंग ग्रांट देने के बारे मे भी विचार किया जायेगा ?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा मे सारे ही डिस्ट्रिक्टस बैकवर्ड है। मैं तो समझता था कि अम्बाला जिला फारवर्ड हे, लेकिन कल वहां के रिप्रैजैंटेटिव कह रहे थे कि जिला अम्बाला बहुत बैकवर्ड है। जहां तक मैचिंग ग्रान्ट का सवाल है यह एक अलाहिदा सवाल है अगर आप इसे इलाहिदा पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री बलदेव तायलः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1977–78 मे जो स्केल अपग्रेड किए गए है, वे दिये गये मापदण्ड पर पूरे उतरते है ?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, जो क्राइटेरिया लेडाउन किया गया है, ये छः स्कूल जमीन की और कमारों की कंडी ान को पूरा करते है।

श्री मूल चंद मंगलाः स्पीकर साहब, हमारे यहां पलवल मे दस पंद्रह पहले एक गवर्नमैंट गर्ल्ज सैकेण्डरी स्कूल दिया गया था, जो म्यूनिसिपैलिटी का था। उसकी अवस्था बड़ी दयनीय है। वहां पर केवल कमरे है और 35 सैक ान है। हमने मंत्री महोदय को भी कहा था कि वहां आकर उस स्कूल की अवस्था देखें। वहां पर पांच कमरों मे दो हजार बच्चे पढ़ते हैं क्या मंत्री महोदय उस स्कूल की अपस्था को सुधारने की ओर ध्यान देंगे ?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, इस सप्लीमैंटरी का अपग्रेडिंग से कोई संबंध नही है। अगर अध्यख महोदय चाहे तो मैं जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्षः कोई जरूरत नही है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो छः स्कूल अपग्रेड किये गये है, वे अपग्रेडिंग की सारी कंडी ान्ज फुलफिल करते है ? क्या बाकी स्कूलों को भी अपग्रेड करने के बारे मे विचार किया जायेगा ?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, जैसा मैंने बताया है कि इस वक्त सरकार का विचार है कि 90 कांस्टीच्यूऐंसीज मे एक एक स्कूल को अपग्रेड कर दिया जायेगा जैसे जैसे फाइनैंस अवेलेबल होंगे। हम हर डिस्ट्रिक्ट से इन्फर्मे ान मंगवा रहे है। कि कौन से स्कूल्ज अपग्रेडिंग की कंडी ान पूरी करते है और जैसे जैसे यह इनफर्मे ान क्लैक्ट होती रहेगी और जैसे जैसे फाइनैंस का अरेंजमैंट होता रहेगा, उसके अनुसार अपग्रेडिंग का काम जारी रहेगा।

श्री भले रामः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार ने जो स्कूल अपग्रेड किये थे और कुछ स्कूलों मे दाखिला भी हो गया था और अब क्लासिज भी चल रही है उनका क्या होगा ?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने 240 स्कूल अपग्रेड किये थे। 120 स्कूल प्राइमरी से मिडल और 120 हो स्कूल मिडिल से हाई अपग्रेड किये थे। इसकाम के लिये 71 लाख रूपये कुद हजार रूपये उन्होंने सैक ान किये थे लेकिन यह सारी कागजी कार्यवाही रह गई। उसका बजट मे कोई प्रोवीजन नही किया गया और गवर्नर रूल मे उन अपग्रेडिंड स्कूल्ज को स्टे कर दिया गया था और वह स्टे अब भी है।

श्री अध्यक्षः इस पर काफी सवाल हो गये है। अब दो सवाल और होंगे।

चौधरी ि ावराम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, स्कूल अपग्रेड करने का जो क्राईटेरिया बताया है मैं समझता हूं कि वह काफी लोगों को पता है लेकिन पिछले अधिवे ान मे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि लड़कियों के स्कूल की जहां से भी मांग आयेगी वहां अपग्रेड कर दिया जायेगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन भार्तो को नर्म करके मुख्य मंत्री के उस आ वासन को पूरा कियया जायेगा जो उन्होंने दिया था और जहां से भी लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने की मांग आये उसको अपग्रेड किया जायेगा ? जो छः स्कूल अपग्रेड किये गये है मंत्री महोदया उनका भी नाम बताने की कृपा करें।

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, अगर एक दफा मैं एक ही सवाल पूछा जाये तो ठीक रहेगा। लड़कियों का स्केल अपग्रेड करने के बारे मे मैंने पहले ही जवाब दे दिया है और मैंनेक कहा था कि लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने मे प्रैफ्रैंस दिया जायेगा। जहां तक क्राइटेरिया का सवाल है इस पर गवर्नमैंट विचार करने के लिये तैयार है और इस विचार करेंगे। जो भी भार्ते है, अगर उनमे कोई रिलैक्से ान हो सकेगा तो किया जायेगा, लेकिन फिर भी मेरा विचार है कि जितनी भी जमीन इस वक्त स्कूलों के साथ हमें मिल सकती है वह हमें ले लेनी चाहियें अगर हम स्कूल बना देंगे और उनके साथ प्ले ग्राउंड नही होगा तो बाद मे उसका जवाब आने वाली नस्लों को हमें देना पड़ेगा। हमें स्कूलों को घोंसला जैसा नही बनाना है। अगर स्कूलों के

साथ प्ले ग्राउंड नही होगा, तो बच्चे खेल नही सकेंगे क्योंकि उनके खेलने का कोई प्रबंध नही होगा और हमारे बच्चो का आल राउंउ डिवैल्पमैंट नही होगा।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, जो प्र न चल रहा है, मेरा सवाल उससे जरा अलग होगा, लेकिन प्र न के पीछे मूल धारणा वही है जो असली सवाल मे है। स्पीकर साहब, एक भाहर मे दो किस्म के स्कूल है। एक प्राइमरी स्कूल है और दूसरा नर्सरी स्कूल है। दोनों स्कूलों मे काफी अंतर है। एक स्कूल मे बच्चा टाई बांध कर जाता है और दूसरे स्कूल मे साधारण बच्चे जाते है, ऐसे बच्चे जाते है, जिनके मां–बाप गरीब है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विचाराधीन कोई स्कीम है, जिसमे ि ाक्षा के स्तर सब का बराबर हो। गरीबों और अमीरों के बच्चों के लिये एक जैसे स्कूल हो, जिससे गरीब आदमियों के बच्चों मे इनफीयरिटी काम्प्लैक्स न आए ?

श्री अध्यक्षः आप सवाल कर रहे हे या भाशण दे रहे है।

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, राई के अंदर एक हाई स्कूल पब्लिक स्कूल के स्टैण्डर्ज का खोला गया है। उसमे गरीब वर्ग के बच्चों के लिये वकैंजीज रिजर्व है। गरीब लोगो के बच्चों को पूरी हन्ड्रेड परसैंट वही सहूलियते देने की कोि ा ा की जा रही है जो पब्लिक स्कूल मे मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें होगी। जनता सरकार ने अभी बागडोर सम्भाली है।

श्री हीरा नंद आर्यः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो छः स्कूल अपग्रेड किये है, उनकी क्या वि ोशता थी जो उनको प्रैफ्रैंस दिया गया है ?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

श्री अध्यक्षः जो छः स्कूल अपग्रेड किए है, उनके नाम पूछने के बारे मे कई सवाल पूछे गए है। आप उनके नाम बता दें, वे कौन से स्कूल है।

कर्नल राव राम सिंहः वे स्कूल्ज हैः—

Primary to Middle

1. Tumbaheri (Rohtak)

2. Budana (Hissar)

3. Badhawar (Hissar)

4. Lehrian (Hissar)

Middle to High

5. Aherwan (Hissar)

6. Doboda Kalan (Rohtak)

जिस वक्त यह लिस्ट बनी थी, ये ही स्कूल थे, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे और कोई स्कूल नही थे।

श्री फतेह चंद विजः मंत्री महोदय ने फरमाया है कि अगले साल हरेक कांस्टीच्यूएंसी का एक एक स्कूल अपग्रेउ किया जायेगा और कुल 84 स्कूल्ज अपग्रेउ करेंगे या 90 करेंगे। यह जो छः अपग्रेउ कहो चुके है, क्या यह भी उसमे भाामिल है या नही ?

कर्नल राव राम सिंहः 6 स्कूल्ज की तो मामली बात है। विज साहब, हम आपकी कांस्टीच्यूएंसी के स्कूल को सबसे पहले अपग्रेड करेंगे, ब ार्ते कि आप उनका क्राइटेरिया फलफिल करते हों।

श्री लहरी सिंह मेहराः माननीय स्पीकर साहब, मेरे हल्के के दो स्कूल्ज ऐसे है, जिन को सन् 1974 मे अपग्रेड किया गया था और फिर एमरजैंसी के वक्त मे उनको डीग्रेड कर दिया था। एक तो इसके बारे मे मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसके बारे मे सरकार क्या उचित कदम उठाने जा रही है और दूसरी बात यह है कि मेरे हल्के मे दो स्कूल्ज ऐसे है, जो सारी कंडी ान्ज फलफिल करते हे, लेकिन फिन भी उन्हें अपग्रेड नही किया गया। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि अपग्रेडे ान के बारे मे सरकार का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री अध्यक्षः देखिये यह सवाल दूसरा है।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर सहाब ने यह मान लिया है कि सब माउनटेनियस एरिया मे क्राइटेरिया चेंज

करेंगे। मैं उन से दरख्वास्त करूंगा कि वे कितने अरसे तक इसका फैसला कर लेंगे और जिस आधार पर ऐसा कर पायेंगे ?

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिये मैं सुझाव इन्वाइट करूंगा और सरदार साहब अगर अपनी तरफ से कोई प्रपोजल बनाकर भेजेंगे तो उस पर पूरा गौर किया जायेगा। जहां तक वक्त की बात है इस बारे मे अभी नही कहा जा सकता फिर भी हम इस पालिसी को जल्दी ही फारमुलेट करने की कोि ाश करेंगे।

श्री दीप चंद भाटियाः मैं अपने मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो मेरा हल्का है, उसमे एक ही स्कूल अपग्रेड होना था। वह तो सारी कंडी ांज फुलफिल भी करता था, उसको अपग्रेड क्यों नही किया गया। जो छः स्कूल्ज अपग्रेड किए गये, वह तो दूसरी जगह पर किये गये। दूसरी बात यह है कि फरीदाबाद जो हरियाणा का सबसे ज्यादा आमदनी वाला इलाका है, उसको भी इस बात से क्यों इग्नोर किया गया ? इससे आगे मेरी एक और प्रार्थना है कि जो पिछली सरकार ने 70 लाख रूपये स्कूलों को अपग्रेड करने के लिये रखे थे, पर रूपये की कमी के कारण वह काम नही हो सका। अब सरकार भाराब पर टैक्स लगाकर 70 लाख रूपये की रिकवरी करें और उसी पैसे से 120 स्कूल्ज को अपग्रेउ करें।

श्री अध्यक्षः मिस्टर भाटिया जरा सवाल छोटा रखिये।

श्री दीप चंद भाटियाः स्पीकर साहब, अगर भाराब के ऊपर इस तरह का टैक्स लगाया जायेगा, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय का स्वप्न भी पूरा होगा और साथ ही यह पैसा स्कूलों के अपग्रेडे ान पर लगाया जायेगा।

कर्नल राव राम सिंहः स्पीकर साहब, मैं अपने मुअजिज दोस्त की भावनाओं की कदर करता हूं, दाद देता हूं, बहुत अच्छी भावनाएं है, अगर 70 लाख रूपये का बंदोबस्त हो सके, तो हम अव य ही सारे के सारे 240 स्कूल अपग्रेड कर देंगे।

Punitive Police Post

***127. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) the date of setting up the punitive police post in Mauza, Bir Hissar village Peeranwali together with the reasons therefor;

(b) the present population of the said village;

(c) the annual expenditure incureed on the said punitive police post and

(d) whether the post as referred to in part (a) above is located within the boundary of the said village?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब,

(क) 1–2–73 गांव ढानी पीरांवाली ऊर्फ बीड़ हिसार जो कि सदर पुलिस थाना क्षेत्राधिकार मे है को ग्राम निवासियों के दुर्व्यवहार, बड़े पैमाने पर अवैध, भाराब अफीम व चरस बेचने इत्यादि के अवैध धंधे मे लगे होने के कारण, गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोशित किया गया था।

(ख) 800

(ग) 59110/-रूपये

(घ) नहीं

लाला बलवंत राय तायलः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि अगर वह चौकी उसकी हद मे नही पड़ती तो क्या वह खर्चा उनके ऊपर से माफ नही किया जा सकता ?

चौधरी देवी लालः इस बारे मे उन्होंने रिट पेटी ान कर रखी है, जिसकी वजह से यह केस सबजुडिस है।

Embezzlement case in the Co-operative Societies

***59. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of Co-operative Societieis where embezzlement cases have been detected during the year 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 to date in the State; and

(b) the total amount involved in the embezzlement cases referred to in part (a) above and the steps takenby the Government to recover the same?

सिंचाई एंव बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह):

(ए तथा बी) स्टेटमैंट के पटल पर रखी जाती है।

सूची

सरकारी वर्श	कुल सहकारी समितियों की संख्या जिमे गबन पाए गए।	कुल गबन की रा ि। (लाखो में)	वसूली के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम		
1973–74	99	25.54	तमाम समितियों के गबन के केसों मे वसूली के लिये आव यक कार्यवाही की जा चुकी है। ऐसे केसों की स्थिति निम्न प्रकार से है:–		
1974–75	104	17.52			
1975–76	317	73.09			
1976–77	193	37.18			
1977–78 (1–7–77 से 30–9–77)	53	11.46	विभाग के पास केसों की संख्या	पुलिस के पास केसों की संख्या	न्यायालय मे चल रहे केसों की संख्या

जोड़	766	164.79	132	439	357

राव दलीप सिंहः क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि 776 सोसाइटीज मे जो 1 करोड़ 64 लाख रूपये का घपला हुआ है, उसमे से सरकार ने कितनी रा ि ा रिकवर कर ली है ?

चौधरी ि ावराम वर्माः स्पीकर साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली सरकार ने एक ऐसा सिस्टम चला दिया था जो मेंबर प्र न करता है उसको उसी वक्त उसकी स्टेटमैंट दी जाती है और बाकी विधायकों को पता नही होता कि क्या जवाब मिला है। इसलिये यह मु ि कल हो जाती है कि सप्लीमेंटरी कैसे करे ? अतः पिछली वाली बात चलाई जाये कि सभी सदस्यों को स्टेटमैंट की कापी मिला करें ताकि मैंबर साहेबान उस को पढ़कर सवाल कर सकें।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आगे से स्टेटमैंट की कापियां सब मैंबर साहेबान को मिल जाया करेंगी। (विघ्न).....

श्री अध्यक्षः वर्मा साहब, अब तक यह प्रोसीजन रहा है कि जब भी ये सवालों के जवाब देते है दो उसकी तो तीन कापियां टेबल आफ दी हाउस पर आधा घंटा पहले रखी जाती है। अगर कोई भी आनरेबल मेंबर पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है।

चौधरी ि ावराम वर्माः स्पीकर साहब, ऐसा करने से वह कठिनाई आयेगी कि कापियां तो होती है एक या दो और 90 के 90 मैंबर आधे घंटे के अंदर उस स्टेटमैंअ को कैसे पढ़ सकेंगे ?

उसको पढ़ने मे तो कई दिन लगेंगे। अच्छा तो यही रहेगा कि सभी मेंबर साहेबान को उसकी एक एक कापी दे दी जाये, आपके पास स्टाफ है, सारा दफतर है आपको ऐसा करने मे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पे ा नही आयेगी।

श्री अध्यक्षः मैं समझता हूं कि इतनी कापियां काफी रहेगी।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं भी इस बात कसे समझता हूं कि सभी मैंबर्ज को वाकई कापियां देना मु कल हो जायेगा लेकिन एक बात आसानी से हो सकती है जैसे कि पार्लियामेंट मे होता है कि कुछ कापियां नोटिस आफिस मे रख दी जाती है। नोटिस आफिस मे मेरा मतलब है जहां पर कि आनरेबल मैंमबर्ज के दरतखत के लिये रजिस्टर रखा हुआ होता है। अगर दो तीन कापियां वहां पर रख दी जाये तो इस से मैंबर साहेबान को काफी आसानी हो जायेगी और जो भी मेंबर चाहे वहां जाकर पढ़ सकता है। यह कोई मु कल चीज नही है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमें मैंबर साहेबान का सुझाव स्वीकार है। आगे से सभी मैंबर साहेबान को कापियां दे दी जायेगी।

चौधरी ि ावराम वर्माः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह आ वासन भी दे दिया है कि सब मैंबर साहेबान को आगे से

कापिया दे दी जायेगी और अगर ऐजैंडे के साथ वे कापियां भी मेज पर रख दे तो मेंबर साहेबान को काफी आसानी रहेगी।

श्री अध्यक्षः वर्मा साहब, अभी यह फैसला हुआ है कि हम तीन की बजाये 5 कापियां टेबल पर रख देंगे और जो मैंबर जिस सवाल मे इंट्रैस्टिड हो उस सवाल को पढ़ ले।

चौधरी ि ावराम वर्माः स्पीकर साहब, फिर तो एक दिन पहले रखवाइये आधा घंटा पहले काम नही चलेगा।

श्री अध्यक्षः बाहर के टेबल पर भी रख देंगे और यहां पर भी रख देंगे।

राव दलीप सिंहः क्या मिनिस्टर सहाब बतायेगें कि यह जो 132 केस पैंडिंग है डिपार्टमैंट इन केसिज का कब फैसला करेगा ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमने साल वाईज केसिज दिये है पर इन्होंने पांच साल की फिग्ज्र मांगी थी। अगर ये किसी पार्टीकुलर साल का पूछना चाहते है तो ये इसके लिये अलग से नोटिस दे, इनको बता दिया जायेगा।

श्री मूल चंद जैनः क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि कोआप्रटिव सोसाइटिज मे जो इतनी ज्यादा एम्बेज्लमैंट हो रही है इसके बारे मे सरकार कोई मुअसर कदम उठाने का सोच रही है जिससे यह सारे के सारे महकमे का नाम बदनाम न हो। 1 करोड़

64 लाख रूपये का जो गबन इन्होंने बताया है यह बहुत बड़ी रकम है। क्या यह मिनिस्टर साहब के नोटिस मे है कि नही, मैं यह पूछना चाहता हूं ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह जो गबन की फिग्र है यह सारी पिछली सरकार की है। जहां तक जनता सरकार का ताल्लुक है, कानूनी तौर पर 3–4 इकदमात लिये जाते है और मेरा ख्याल है कि हम कोई और कदम नही सोच सके है। केवल रिकवरी के लिये यह चार कदम उठायें है। जहों तक इस बात का पता चले कि गबन हुआ है। वहां पर सबसे पहले एक डिटेल्ड इन्सपेक ान किया जाता है। दूसरा विभागीय अधिकारी सालिस नियुक्त करके दोशियों के विरूद्ध सालिसी कार्यवाही आरम्भ की जाती है। तीसरे उपरोक्त (ख) मे दिये गये मामलों मे जहां कहीं आव यकता होती है, मामले पुलिस के सुपुर्द कर दिये जाते है और चौथे सालिसी कार्यवही पूरी होने तक गबन की रा ि ा की वसूली न्यायालय द्वारा की जाती है।

श्री फतेह चंद विजः क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि साल 1974–75 से लेकर 1976–77 तक गबन के कितने केसिज पुलिस को दिये गये है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः पुलिस केसिज की फिग्गर इस प्रकार है। 1973 से लेकर 1977–78 तक पुलिस के पास 439 केसिज आए है।

राव बीरेन्द्र सिंहः मैं मंत्री जो से पूछना चाहूंगा कि जितने गबन पकड़े गये है उनमे से कितने ऐसे केसिज होंगे जो पुरानी सरकार ने जानबूझ कर करवाए होंगे वह इसलिये कि उन्होंने सरकार का सहारा ले लिया था और उनके खिलाफ कार्यवाही नही हुई ? कया इस वक्त इस गबन वाले केसिज मे कुछ ऐसे लोग है जो रूलिंग पार्टी का सहारा लेकर रिकवरी और मुकद्दमों से बचना चाहते है ? इसमे कोई भाक नही है कि कोआप्रेटिव डिपार्डमैंट इस मामले मे बहुत बदनाम है और जो लोग पैसा खाते है वे जरूरी तौर पर सरकार का सहारा लेकन ऐसा काम करते है। क्या इस मामले मे कोई पड़ताल की गई है कि किस तरीके से ये लोग बचते रहे ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः इसके लिये अगर राव साहब अलग से नोटिस दे देंगे तो जवाब दे दिया जायेगा।

राव बीरेन्द्र सिंहः इतने मुकदमें पकड़े है आखिर महकमें ने कुछ तो पूछा होगा कि यह करोड़ो रूपये का गबन कैसे हुआ ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः जिन्होंने खाया हम तो उनको जानते भी नही।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने तीन चार केसिज के बारे मे फर्माया। क्या मंत्री महोदय ने इतनी भारी रकम का गबन होने के बाद कोई ऐसा तरीका सोचा है कि आगे से ऐसे गबन न हो ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अभी तक कोई तजवीज नही सोची है। अगर सदस्यगण कोई सुझाव देंगे तो विचार किया जायेगा।

श्री भाम ोर सिंहः कोआप्रेटिव सोसाइटियों के जो मैंबर्ज होते है वे आम तौर पर अनपढ़ होते है और उनके जो सैक्रेटरी, सब इन्सपैक्टर, इन्सपैक्टर या ए.आर.सी. होते है वे पढ़े लिखे होते है। आम तौर पर रूपया तब तक नही खाया जा सकता जब तक कि सरकारी कर्मचारी उसमे भाामिल न हो। अगर कही गबन होता है तो उसका फैसला भी ए.आर. और इन्सपैक्टर्ज करते है। ऐसे सूरत मे तो ऐसा लगता है कि रूपया खाने वाले तथा फैसाल करने वाला कही एक ही आदमी तो नही है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः जिस सरकारी आदमी के खिलाफ ि ाकायत मिलती है उसके खिलाफ भी ऐक ान लिया जाता है। जहां तक आनरेबली मैंबर ने यह बात कही है जज और कलप्रिट एक ही आदमी है इस बात से सहमत नही हूं।

श्री हीरा नंद आर्यः जो गबन के केस पुलिस मे दर्ज हुए है और उनका फैसला हो चुका है उनमे से कितने आदमी बरी हुए है और कितनो को सजा मिली है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः इसके लिये अलग से नोटिस दें जवाब मिल जायेगा।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, इस महकमे मे काफी घपला है और पहले भी इसकी बड़ी चर्चा होती रही है। क्या मंत्री

महोदय बताएंगे कि इसके लिये कोई स्पै ाल बोर्ड बिठा कर रिकवरी करवाई जाएगी ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः इस पर अभी तक कोई गौर नही किया गया है लेकिन आगे के लिये गौर किया जायेगा।

श्री मूल चंद जैनः क्या मंत्री महोदय के नोटिस मे ऐसे केसिज आए है कि विभाग के कर्मचारियों ने कर्जा लेने वालों से कर्जा तो वसूल कर लिया और उनको कच्ची रसीदें दे दीं लेकिन उस पैसे को कै ा बुक मे दर्ज नही किया ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः सरकारी तौर पर तो ऐसे केसिज नोटिस मे नही है वैसे कुछ नोटिस मे आए है।

चौधरी गंगा रामः क्या मंत्री महोदय के नोटिस मे यह बात हे कि कोआप्रेटिव सोसाइटियों के जो इन्सपैक्टर्ज है वे जब रिकवरी करने के लिये जाते हे तो उस समय दो सौ या तीन सौ रूपये लेकर रिकवरी को वहीं छोड़ कर आ जाते है यह कहकर कि छः महीने के बाद फिर करेंगे। उसके बाद छः महीने के बाद फिर चार सौ रूपये लेकर रिकवरी छोड़ कर आ जाते है। इस तरह से हजारों रूपये ये इन्सपैक्टर्ज कमा रहे है। कया इसको रोकने का सरकार ने कोई इंतजाम किया है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः जब गंगा राम जी या कोई और व्यक्ति इस किस्म की ि ाकायत बताएंगे तो उस अफसर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

चौधरी लाल सिंहः मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के एक्स एम.एल.एज. और मिनिस्टरों ने इस बैंक का लाखों रूपया खाया और तीस साल से इस पर इन्होंने कब्जा कर रखा था उसके लिये सरकार कुछ कर रही है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आदरणीय मैंबर साहब ने एक कम्पलेंट कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मुझे दी थी उसकी विजीलैंस के जरियें इन्क्वायरी करवाई जा रही है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये।

श्री जय नारायण वर्माः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन साोसाइटियों मे जो कुछ बड़े लोग थे उन्होंने हरिजनों और पिछड़े वर्गो के लोगों के नाम से जो पैसा खाया था उनके खिलाफ हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इस किसम की सरकारी तौर पर कोई ि ाकायत नही मिली। अगर कोई ि ाकायत मिलेगी तो एक ान लिया जायेगा।

चौधरी लहरी सिंह मेहराः क्या मंत्री महोदय के नोटिस मे ऐस केसिज है जिनमे लाखों रूपये का गबन हुआ है और अब वे अफसरों से मिल कर या डी.सी. साहब वगैरा से मिलकर दबाए जा रहे है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अगर आनरेबल मैंबर कोई स्पैसिफिक इंस्टांस दे और उसका नोटिस दें तो आगे कार्यवाही की जा सकती है।

श्री लछमन सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन बड़े बड़े गबन के मामलों मे जो कार्यवाही की जायेगी वह छोटे तबके के लोगों के खिलाफ ही की जायेगी या बड़े अफसरान के खिलाफ भी की जायेगी ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः जो भी कानूनी तौर पर दोशी पाया जायेगा उन सब के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री लछमन सिंहः कानून तो बहुत लम्बा है। अगर वे यह कहें कि नीचे वालों ने किया है तो क्या मिनिस्टर साहब उस अफसर की नैगलीजैंसी नही देखेंगे जिसकी वजह से करोड़ों रूपये का नुक्सान हुआ है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि कानून के हाथ बहुत बड़े है और वह हर बड़े व्यक्ति तक भी पहुंचेगा।

श्री फतेह चंद विजः मिनिस्टर साहब जानते है कि प्रदे ा मे कुरप् ान के सिलसिले मे सोसायटियां काफी बदनाम है। क्या मिनिस्टर साहब सदन के कुछ मैंबरों की एक कमेटी इन्क्वायरी करने के लिये बनायेंगे जो दो तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे और उस रिपोर्ट के तहत ऐक्ट मे कोई अमैंडमैंट करने के लिये भी वे तैयार है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः सुझाव अच्छा है, इस पर गौर किया जायेगा।

श्रीमती भाकुन्तलाः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कोआप्रेटिव सोसायटियों से जो कंसर्न्ड आदमी है, जिन्होंने हेराफेरी से गरीबों के हस्ताक्षर करवा लिये है कि पैसा दे दिया गया है, इन के खिलाफ करने के बारे मे सरकार ने कुछ सोचा है ? इन लोगों को पैसा दिया ही नही गया और हस्ताक्षर करवा दिये गये है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः कोआप्रेटिव सोसायटियों से संबंधित आदमी ही नही है, औरतें भी है। हर तरह से कोि ा ा की जा रही है कि जिन्होंने गड़बड़ की है, उन के विरूद्ध ऐक ान लिया जाये और सोसायटियों को राहे रास्ते पर लाया जाये।

श्री रघुनाथ गोयलः मै आदरणीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कैथल मे जो एक छापा पड़ा था और दो तीन रोज के बाद विजिलैंस वापिस चला आया था, उसका क्या बना ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः इसके लिये नोटिस दे दे, जवाब दे दिया जायेगा।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर जब ऐम्जैजलमैंट होती है तो सोसायटियों के कार्यकर्ता वांइड अप कार्यवाही के लिये भागते है। जिन सोसायटियों को वाइंड अप का हुकम हो जाता है उनके लिये

प्राइवेट इंडिविजुवल लिक्विडेटर अप्वायंट कर दिया जाता है। जो कार्यकर्ता बेईमान है, पैसा खा बैठे है वे इन से मिलकर कार्यवाही को तहस नहस करवा देते है। क्या मिनिस्अर साहब इसके बारे मे रो ानी डालेंगे कि प्राइवेट लिक्विडेटर की बजाए सरकारी अलग किस्म के अफसरों को लिक्विडेटर मुकर्रर किया जाये ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः यह सवाल नही, एक सुझाव है, इस पर गौर किया जायेगा।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर कोआप्रेटिव बेसिज पर पिछली सरकार ने कुछ स्कूल चला रखे थे और उन मे लाखो रूपये का गबन हुआ है। भाई सुरेन्द्र सिंह जी को अच्छी तरह पता है कि कुरूक्षेत्र मे ऐसे स्कूल थे जहां पर उन्होंने मेरे गोहाने के लोगों को ट्रेनिंग दे रखी थी और स्कूल खोल कर लोखो रूपया कमाया है। क्या मंत्री महोदय इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अपने पड़ोसी से पूद लें। ....(हंसी)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब जितने काले कारनामे ये गोहाने की धरती के ऊपर आकर किया करते थे उसका कोई अंत नही ....(व्यवधान) यह भी किया करता था, मैं देखता था।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय अगर इस किस्म की कम्पलेंट सरकार को प्राप्त होगी, चाहे वह सुरेन्द्र सिंह के बारे में

हो, चाहे किसी और के बारे मे हो, उस पर फौरी तौर पर ऐक ान लिया जायेगा।

श्री दीप चंद भाटियाः मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि ऊपर वाले बंसी लाल हो या सिंगल लाल हो, चाहे कोई लाल हो उन को पकड़ लेते है लेकिन जो हमारे हल्के मे है जिन्होंने कुरप ान कर रखी है, चाहे वे कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के है या दूसरे है, उनके खिलाफ एक ान क्यों नही लेते ? ये तो बंसी लाल को रगड़ रहे है, बाकी जो रह गये है उन को क्यों नही पकड़ते ।

(कोई जवाब नही दिया गया)

श्री अध्यक्षः श्री गुलजार सिंह, आप अपने सवाल का नंबर बोलिये।

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, इस सवाल के पहले मेरा 87 नम्बर सवाल था, क्या वह काट दिया गया है ?

श्री अध्यक्षः मैंने काट दिया था आप हाजिन नही थे ?

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, यह बहुत जरूरी सवाल है।

श्री अध्यक्षः अगर जरूरी होता तो आप टाईम पर आते।

***88. Shri Gulzar Singh:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a test for admission to M.B.B.S. in the Medical college, Rohtak has been introduced instead of giving admission on the basis of marit in the University Examination;

(b) whether the Government received any complaint that favouritism was don in adopting this system; if so, the action taken by the Govenrment on the said complaint; and

(c) whether it is a fact that students securing 70% marks in the merit did not get admission whereas students securing 55% marks got admission.

खाद्य तथा पूर्ती मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा):

(क) जी हां, मैडीकल कालेज, रोहतक मे एम.बी.बी.एस. कोर्स मे प्रवे ा के लिये इस वर्श से एक परीक्षा आरम्भ की गई है।

(ख) तथा (ग) जी हां, सरकार के पास कुछ ि ाकयते आई थी जिन्हें रजिस्ट्रार महर्शि दयानंद वि ववि्यालय रोहतक को भेज कर उनसे प्रार्थना की गई है कि वह इन ि ाकायतों के बारे मे पूरी जानकारी सरकार को दें और अपनी टिप्पणी भी भेजे। ठीक स्थिति का पता उनसे सूचना प्राप्त होने पर ही चलेगा।

श्री राम कि ानः क्या हैल्थ मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि रोहतक मे एम.बी.बी.एस. के दाखले मे 70 परसैंट नंबर लेने वाले विद्यार्थियों को इग्नोर किया गया और 55 परसैंट वालो को दाखला दिया गया है ? अगर यह सब इन के नोटिस मे है तो उन के नाम बताए जाएं ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः दयानंद यूनिवर्सिटी का नाम 1–7–1977 से दिया गया है और मैडिकल कालेज इसके अधीन है। इंडियन मैंडिकल कौंसिल के अनुसार ही इसकी परीक्षा का विधान बनाया गया है। परीक्षा लेने के ऊपर यह सिद्ध नही हो सकता कि 80 परसैंट नंबर वाला विद्यार्थी लिया जा सकात है या 70 परसैंट वाला लिया जा सकता है। परीक्षा लेने वाला बाहर की यूनिवर्सिटी का आदमी है और उसी ने पेपर बनाया है। जो व्यक्ति इसमे पास हुआ वह ले लिया गया।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, यह बड़ा जरूरी सवाल है। मैं तो उस आदमी का नाम तक दे सकता हूं जिसके बच्चे दाखिल हुए है और जिनके नंबर 50 परसैंट तक है। बहुत सारे लड़के, देवेन्द्र सिंह जैसे है जिनके 72 परसैंट नंबर है बड़े इंटैलिजैंट है। सरकार को चाहिये कि मैडिकल कालेज के इस मामले की छानबीन करें और जो दोशी पाये जाये उन को सजा दें।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः यह तो वाईस चांसलर ही कर सकता है।

चौधरी मेहर सिंह राठीः दाखले के लिये जो इम्तिहान लेने का तरीका अपनाया गया है, वह ठीक नही है क्योंकि कालेज मे जो लैक्चरर है वे अपने बच्चों को पर्चे बतला देते है, पर्चे लीक आउट कर देते है। मोस्टली प्रोफर्सर्ज के बच्चे ही दाखला लेते है, अच्छे रह जाते है। वैसे उनके नम्बर भी अच्छे होते है यूनिवर्सिटी के लिहाज से लेकिन वे अपने अपने बच्चों को दाखिल कर लेते है।

(कोई जवाब नही दिया गया)

कंवर राम पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो ि ाकायतें सरकार के पास छानबीन के लिये भेजी गई है, अगर सरकार उनकी छानबीन को जल्दी निपटा देती, उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाती तो इन लड़कों का एक साल बच सकता था। जिन्होंने ि ाकायत की है उन का एक साल मारा गया है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस पर तुरंत ऐक ान क्यों नही हुआ ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः 13 लड़कों की ि ाकायतें प्राप्त हुई थी। कुछ लड़कों ने रिटपैटी ान भी की थी जो हाई कोर्ट से खारीज हो गई थी। यूनिवर्सिटी एक आउटोनिमस बौडी होने के कारण हम इस मे दखल नही दे सकते।

श्री मूल चंद जैन: क्या मंत्री महोदय बताएंगी कि जो टैक्ट की प्रथा चालू की गई है यह पहली दफा इसी साल चालू हुई है और जनता सरकार की पालिसी है या पिछली सरकार ने टैक्ट लेने का रिवाज जारी किया था?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: यह इसी वर्श जारी हुई है। इसका निर्णय भी इंडियन मैडिकल कौंसिल ने 2 अध्यादे ाों के द्वारा किया था जिस के अनुसार भारत के जो 4 अदद प्रोविंस है देहली, उत्तर प्रदे ा, मध्यप्रदे ा और राजस्थान उन के अंदर भी इस क्राइटेरिए के अनुसार ऐडमि ान होती है। जो विद्यार्थी कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी और पंजाब यूयनिवर्सिटी से 50 प्रति ात या 60 प्रति ात नंबर लेते है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से 80 प्रति ात या 82 प्रति ात लेकर आ जाते है वे विद्यार्थी प्रवे ा पाप लेते है लेकिन हरियाणा वि ववविद्याल के विद्यार्थी नही पा सकते। इसलिये इस क्राइटेरिया को रखा गया है कि प्रवे ा मैरिट के आधार पर ही हो। इंडियन मैंडिकल कौंसिल ने ये दो कानून बनाये है जिन के अनुसार मैरिट के आधार पर प्रवे ा हो। उन राज्यों मे प्रवे ा परीक्षा लेते है जहां एक से अधिक विद्यालय है। यह कानून लागू है।

Mr. Speaker: The time is up. please.

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये।)

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, यह बहुत जरूरी सवाल है, इसको पैंडिंग रख लिया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप पुराने मैंबर है, समय पूरा हाने के बाद सप्लीमैंटरी हो नी सकते । (व्यवधान)

कई सदस्यः यह बहुत जरूरी सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इस सवाल पर कल 10 सप्लीमेंटरी और हो जायेंगे।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर।

Commanded and Uncommanded Area

92. Ch. Birinder Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the village-wise acreage of land in commanded and uncommented area in each sub-division of the Rohtak, Jind and Narwana divisions of Western Yamuna Canal and Bhakra Canal respectively, which are not irrigated by Canals during the last three years; and

(b) the steps so far taken or proposed to be taken for executing the the schemes for irrigating the dry land mentioned in part (a) as above?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh):

(a) List showing village-wise acreage of land in commanded and uncommanded area in each sub-division of the Rohtak, Jind and Narwana divisions of Western Yamuna Canal and Bhakra Canal respectively, which are not irrigated by Canals during the last three years; is enclosed

(b) A number of schemes (shown in attached list) for improving irrigating facilities in he above area have been sanctioned by the Govt. necessary action is being taken to execute theses schemes after observing necessary formalities.

Statement showing C.C.A. and U.C.A. village-wise which is not receiving irrigating during the last three years in Madina sub-division of Rohtak Division

Sr.	Name of Village	Area not irrigated by Canal during the last 3 years out of	
		C.C.A. (Acres)	U.C.A. (Acres)
1	2	3	3
1	Anwal	261	352
2	Ghari Balab	12	59
3	Balab	104	12
4	Tamurpur	13	27

5	Kahnaur	73	370
6	Nigana	447	456
7	Sangehera	151	102
8	Kalanaur Kalan	884	542
9	Kalanaur Khurd	2031	336
10	Kattesra	63	33
11	Maijba	1031	160
12	Masudpur		
13	Siwana	1100	372
14	Chimni	343	374
15	Dubaldhan	1009	350
16	Majra	3001	760
17	Dharana	13	775
18	Meham	510	190
19	Bahlba	40	15
20	Kharkara	16	20
21	Bharan	50	65
22	Nidana	230	40
23	Farmana Khas	55	20

24	Farmana Badsatpur	28	10
25	Bhani Chnader Paul		67
26	Bhani Surjan		
27	Bhani Bharon		5
28	Kheri Meham	205	65
29	Shekhpur Titri	60	
30	Bhagoti pur	10	150
31	Samargopalpur	70	380
32	Singpura	50	110
33	Khadwali	125	210
34	Titoli	1300	732
35	Bahu Akbar pur	100	58
36	Sunderpur	150	80
37	Bahu Jamalpur		60
38	Madina Gindran	200	393
39	Madina Kursan	350	17
40	Nidana	100	80

41	Garawar	200	50
42	Ajaib		50
43	Kharanti		6
44	Mokhra Khas	400	40
45	Mokhra Khezi Roze	300	98
46	Muradpur Tekna.		
47	Tahli	150	14
48	Bali Anandpur		49
49	Banyani	250	125
50	Patwarpur	80	35
51	marodi Rangran	100	102
52	Dobba	200	65
53	Gadi Kheri	100	81
54	taja Majra	100	54
55	Chri	170	1050
56	Gharothi	462	180
57	Ghus Kheri	305	300
58	Chandi	400	1100

59	gharak Churangla	100	22
60	Takhan Majra	425	888
61	Nandal	70	273
62	Banshi	100	190
63	Gugaheri	110	280
64	Kharak Jatan	80	212
65	Katwara		19
66	Poli	50	96
67	Kilajafargarh		30
68	Darar	250	38
69	Akalgurh	50	54
70	Hatwala		26
71	Lajwana	80	40
72	Kahlpa	500	400
73	Bhanderi		17
74	Chhapra	150	275
75	Gharwal		11
76	Banwara		32
77	Kathura	220	636

78	Dhanana	100	356
79	Bidhana	240	928
	Total	19927	16059

Statement showing C.C.A. and U.C.A. village-wise which is not receiving irrigating during the last three years in Butana Sub-Division of Rohtak Division

Sr.	Name of Village	Area not irrigated by Canal during the last 3 years out of	
		C.C.A. (Acres)	U.C.A. (Acres)
1	2	3	3
1	Rohtak	1200	1170
2	Saraiahned		31
3	Sunderpur	150	56
4	Kutana	500	80
5	Tajamajra	28	7
6	Singhpur	50	132
7	Brahmanwas	50	469
8	Chamaraian	100	300
9	Sasroli	30	176

10	Jindran	20	105
11	Titoli	5	
12	Nazirpur	30	83
13	Sahan Majra	170	177
14	Khadwali	775	280
15	Sanghi	2000	630
16	Jasia	200	456
17	Ghilor Kalan	150	216
18	Ghilor Khurd	90	145
19	Urlana Kalan	450	
20	Sinkh	400	
21	Pathri	325	
22	Kurana	180	500
23	Chhichrana	100	450
24	Bahadurpur	10	
25	Achran kalan	65	
26	Achran Khurd	150	
27	Sharafabad	25	
28	Siwana Mal	300	

29	RanaKheri	50	
30	Gangana	380	
31	Jagsi	300	200
32	Ahmedpur Majra	55	
33	Matan	95	
34	Chhichrana	85	
35	Bichpari	325	
36	Mahmadpur	40	
37	Butana Kundu	150	
38	Khanpur Khurd	45	
39	Butana Khetlan	165	
40	Baroda Mor	45	
41	Khandri	500	225
42	Gangesar	450	160
43	Gohana	1825	530
44	Rukhi	350	175
45	Lath	300	
46	Moi	300	12
47	Naurankhera	250	35

48	Bali	290	70
49	Gohana	210	20
50	Gudha	45	2
51	Bhainswal Khurd	900	80
52	Baroda Mor	1990	620
53	Kheri Damkan	244	
54	Baroda Tithan	350	15
55	Puthi	500	50
56	Sikanderpur Majra	560	12
57	Rabra	330	5
58	Barota	190	9
59	Bahwar	300	
60	Thaska	150	50
61	Banwa	200	350
62	Isqpur Kheri	300	107
63	Mirzapur Kheri	250	50
64	Madina	360	180
65	Nagar	100	

66	Niat	50	
67	Kohla	400	36
68	Mahra	250	
69	Jauli	10	
70	Chhichrana	200	
71	Ahuama	380	
72	Gharwala	760	
73	Kahlpa	400	
74	Kathura	250	
75	Bahndri	110	
76	Bhamebwa	330	2
77	Katwara	60	
78	Mehra	50	
	Total	22782	8646

Statement showing C.C.A. and U.C.A. village-wise which is not receiving irrigating during the last three years in Bhallaut Sub-Division

Sr.	Name of Village	Area not irrigated by Canal during the last 3 years out of

		C.C.A. (Acres)	U.C.A. (Acres)
1	2	3	3
1	Bhaulat	172	756
2	Bohar	842	1400
3	Samchana	52	380
4	Morkheri		136
5	Balaya		88
6	Gijji		190
7	Datores	100	215
8	Bhasrun Kalan	70	270
9	Ismalia.11 Bisua		280
10	Bhasarup Khurd	90	93
11	Sampla		66
12	Kheri sampla	111	436
13	Naya Bans		112
14	Rodh	120	230
15	Kheri Jasur		162
16	Dahkora	101	154
17	Iohar Heri	40	232

18	Paksma		220
19	Nanond		315
20	Kasanti		82
21	Atali		215
22	Gandhara		164
23	Kheri Sadh		25
24	Jasaia	405	112
25	Dhamar	175	188
26	Kaloi Khas	175	238
27	Kaloi Dopana	550	430
28	Ladhot	170	206
29	Brahman Was		
30	Bansant Pur		80
31	Makroli Kalan	750	656
32	Makroli Khurd	40	190
33	Bhiyanpur	50	104
34	Pologi	105	93
35	Rurki	150	333
36	Kansala	250	168

37	Humanpur	875	260
38	Rohtak	300	735
39	Parra	85	502
40	Ason	725	431
41	Bakheta	255	181
42	Mugan	75	140
43	Kahni 12.50	575	220
44	Kahani 7.50		112
45	Rithal Phogat	725	370
46	Rithal Narwal	335	200
47	Anwali	50	226
48	Bilbilan		1
49	Giwana		276
50	Jasrana	145	206
51	Gorar	150	140
52	Nizampur Mazra		
53	Riwara	100	210
54	Katwal	150	360
55	Moi Hooda	55	110

56	Rukhi		66
57	Lath	150	370
58	Bali		64
59	Bidal	60	248
60	Jauli	70	400
61	Dodwa	80	106
62	sarthal	200	348
63	Kakrana	60	55
64	Kasanda	40	42
65	Kasandi	40	147
66	Rolad	180	468
67	Moi	40	85
68	Guhana	50	218
69	Bhaswan Bawla	110	356
70	Bhaswan Mithan	120	666
71	Tihar	160	132
72	Bilbilan	250	330
73	Anwali	350	996
74	Pinana	210	308

75	Salarpur Majra	150	195
76	Farmana	300	80
77	Ridhan	100	144
78	Mahipur	40	88
79	Mazumnagar	250	198
80	Muhana	160	292
81	Nizampur Majra	140	200
82	Bolla	140	90
83	Salimpur	60	60
84	Jiwan	122	304
85	Naina Tatarpur	200	108
86	Rehmana	50	194
87	Dubheta	160	144
88	Chitra Dudua	40	27
89	Moi	100	660
90	Satwali	40	68
91	Bherampur Majra	0	23
92	Tiroi	200	390

93	Bazana kalan	210	800
94	Bazana Khurd	150	50
95	Pugthala	140	25
96	Sardhana	60	164
97	Mahmadpur Majra	70	352
	Total	14190	23461

Statement showing C.C.A. and U.C.A. village-wise which is not receiving irrigating during the last three years in Safidon Sub-Division, Julana Division. and Jind Sub-Division of Jind Division, Jind

Sr.	Name of Village	Area not irrigated by Canal during the last 3 years out of	
		C.C.A. (Acres)	U.C.A. (Acres)
I. SAFIDON SUB-DIVISION			
1	Dhatrath		376
2	Raichandwala		132
3	Mohmandkhera		85

4	Jamni		19
5	Nagura		99
6	Kheri Nagura		34
7	Hasanpur		69
8	Jiwanpur		110
9	Dhilowal		50
10	Mandi Khurd		95
11	Muana		367
12	Gauri Kheras		17
13	Titoli		467
14	Kharkgadian		271
15	Teli Khera		348
16	Alijogikhers		232
17	Malsari Khera		115
18	Morkhi		619
19	Gangoli		325
20	Hadwa		192
21	Asan		124
22	Khark Ramji		261

23	Budhakhera		22
24	Hoshiarpur		77
25	Malawati		133
26	Butani		244
27	Kalwa		405
28	Karaak gagar		263
29	Nidana		274
30	Ludana		249
31	Lalitkhera		142
32	Shadipur		4
33	Kishanpura		37
34	Baroli		162
35	Shamlo Khurd		108
36	Gonashi Khera		110
37	Anupgarh		138
38	Radhana		236
39	Brahkhurd		280
40	Brahkalan		254
41	Sindhvi Khera		164

42	Birtana		198
43	Dharoli		181
44	Chabri		86
45	Kinana		473
46	Ghimana		154
47	Behablpur		112
48	Bibipur		614
49	Nidani		451
50	Padana		176
51	Khema Kheri		123
52	Shamlo Kalan		490
53	Bishanpur		7
54	Malar		221
55	Karkhana		100
56	Jaipur		66
57	Bahadurgarh		119
58	Sheela Kheri		162
59	Safidon		322
60	Singhpura		54

61	Kherkarra		65
62	Ratta Khera		114
63	Ram pura		118
64	Hari Garh		150
65	Anchra Khurd		317
66	Sharfabad		18
67	Bhagkhera		372
68	Dedwara		165
69	Bhusalna		48
70	Singhana		75
71	Paju Khurd		106
72	paju Kalan		78
73	Aftabgarh		58
74	Shahanpur		76
75	Dharamgarh		15
76	Khera Khemawati		50
77	Memnabad		41
78	Hat		363
79	Rojhala		96

80	Kurar		120
81	Baghru Kalan		96
82	Bhagrukhurd		92
83	ram Nagar		246
84	Kirshanandu		79
85	Tito Kheri		82
86	Butani		91
87	Barod		102
88	Khatla		63
89	Anta		233
90	Bahadurpur		67
91	Todikheri		56
92	Shadi pur		23
93	Ahmedpur Majra		139
94	Joshi		49
95	Shehra		30
96	Dharamgarh		27
97	Urlana Kalan		22
98	Urlana Khurd		178

99	Sinkh		299
100	Balah		232
101	Mor Majra		300
102	Goli		1
103	Kawi		505
II. JULANA KALAN SUB-DIVISION			
104	Sewana Mal		427
105	Rana Kheri		30
106	Bhawar		342
107	Nizampur		337
108	Bhembawa		285
109	Nandgarh		344
110	Bharon Khera		122
111	Dhigana		316
112	Lajwana Khurd		203
113	Sirsa Kheri		76
114	Ramkali		222
115	Gatoli		613
116	Buradahar		134

117	Jajjai-wanti		440
118	Gharwali		288
119	Khera Bhakhta		163
120	Karela		205
121	Jhamola		115
122	Mehrera		241
123	Fatehgarh		87
124	Lajwana Kalan		387
125	Budha Khera		239
126	Shadipur		124
127	Akalgarh		14
128	Hathwala		150
129	Brahamanwas		186
130	Killazafargarh		468
131	Deorar		32
132	Karsola		358
133	Julana		603
134	Rajgarh		62
135	Desh Khera		374

136	Malvi		429
137	Kamashkhera		111
138	Brakhera		186
139	Buwana		36
140	Igras		294
141	Ugalan		33
142	Mohala		69
143	Badchhapur		168
144	Puthi		429
145	Farmana Khas		226
146	Bedwa		474
147	Seman		492
148	Bhani Shander Pal		4
149	Bhani Surjan		21
III. JIND SUB-DIVISION			
150	Jhanj Kalan		
151	Jhanj Khurd		148
152	Ahirka		100
153	Amrehri		214

154	Jalalpura Khurd		89
155	Jalalpura Kalan		371
156	Iatal Kalan		140
157	Ikas		161
158	Rajpura		310
159	Intal khurd		145
160	Ramrai		569
161	Ramgarh		208
162	Pohkarkheri		312
163	Bagwanwala		23
164	Kagsar		67
165	Gunkali		20
166	Jajwan		182
167	Mirajpur		130
168	Daryawala		178
169	Julani		376
170	Kheri Jajwan		78
171	Sangatpuras		168
172	Asan		17

173	Sewah		294
174	Pilukheras		236
175	Kheri Malodas		121
176	Umrali Khera		211
177	Bhuran		263
178	Kalwas		178
179	Jamni		186
180	Rajana		171
181	Beeri Khera		70
182	Chhapar		25
183	jaoipur		
184	Budha Khera		224
185	shahpur		14
186	Dalamwala		473
187	Sirirag		165
188	Kandela		96
189	Mandokheri		93
190	Khunga		93
191	Bohtwala		221

192	Barsana		126
193	Manoharpur		190
194	Taloda		65
195	Lohchap		184
196	datrath		172
197	Asrafgarh		171
198	Jind		286
199	Govinpura		147
200	Birbarwan		93
201	Lakhmirwala		78
202	Pindara		263
203	Khokhri		258
204	Nirijan		292
205	Haibatpur		46
206	Kair Kheri		466
207	Teg Bhadur pur		79
208	Barsola		130
			Total-42283
Safidon Sub-Division			18999

Julana Sub-Division	12019
Jind Sub-Division	11265
Grand Total	42283

Statement showing C.C.A. and U.C.A. village-wise which is not receiving irrigating during the last three years in Jaklauli Sub-Division of Narwana Division.

Sr.	Name of Village	Area not irrigated by Canal during the last 3 years out of	
		C.C.A. (Acres)	U.C.A. (Acres)
1	2	3	4
1	Guliana		140
2	Kheri Sambal wali		55
3	wazir Nagar		26
4	Kheri Rao wali		60
5	Chosala		60
6	Julai Khera		35
7	Kaliran		250
8	Balu		425
9	Jakholi		205

10	Bata		340
11	Kharak Pandwa		195
12	Kamalpur		92
13	Chal dadikri		60
14	Badsikri Kalan		3
15	Deoban		120
16	Kasson		165
17	Taragarh		65
18	Sangri		170
19	Pooda		190
20	Chandana		90
21	Narar		20
22	Deod Kheri		13
23	Raoharian		130
24	Kakaud		60
25	Titran		195
26	Harsola		198
27	Pegan		218
28	Saran		1220

29	Dumara		210
30	Rajound		1880
31	Kheri Sarphali		182
32	Faribads		45
33	mandwal		195
34	Baluana		390
35	Bassi		20
36	Bir Bassi		52
37	Bhana		270
38	Majra Nand Karan		160
39	Kukar Kanda		82
40	Sargha		235
41	Santokh Majra		242
42	Deegh		433
43	Raman Ramni		372
44	Bakal		496
45	rahara		498
46	Rolara		387

47	Majara rohara		85
48	Barsana		110
49	mjawana		365
50	Habri		107
51	Thehbarala		83
52	Kotra		112
53	Kachhana		221
54	Narwal		65
55	Karora		531
56	Songal		432
57	Pai		534
58	Bahri		580
59	Thebahri		130
60	Thal		272
61	Bangri		232
62	Kathana		215
63	Dohla		197
64	Chhatar		698
65	Shamli		118

66	Jasmir		25
67	Chhurpur		115
68	Majra Pegan		78
69	Alewa		403
70	Katwal		205
71	Pegan		315
72	Kheri Bhullanwali		110
73	Naguran		272
74	Kheri Naguran		48
75	Thua		310
76	Durana		110
77	Bangra		605
78	Kacharah Kalan		76
79	Kacharah Khurd		60
80	Kandala		158
81	Shahpu		124
82	Roop Singh		62
83	Ajit Garh		26

84	Shri rag		65
85	Mandi Kalan		210
86	sandeel		190
87	Kheri Sherkhan		59
Total			18629

Statement showing C.C.A. and U.C.A. village-wise which is not receiving irrigating during the last three years in Shudkan Sub-Division of Narwana Division.

Sr.	Name of Village	Area not irrigated by Canal during the last 3 years out of	
		C.C.A. (Acres)	U.C.A. (Acres)
1	2	3	4
1	Durdain		91
2	Mukhand		71
3	Bhungra		32
4	Alipur		12
5	Gunda Khera		5
6	Karisinghu		71
7	Tarkha		5

8	Dumerkha Khurd		15
9	Ghaso Khurd		15
10	Ghaso Kalan		12
11	Bhagwanpura		15
12	Jheel		5
13	Kheri Masanian		10
14	Kheri Safan		5
15	Dedha Majra		5
16	Khark Bura		10
17	Uchana Khurd		
18	Daroli Khera		51
19	Tohana Khera		61
20	Uchana Kalan		131
21	Pahlwan		21
22	Barsola		91
23	Khapran		51
24	Baroda		175
25	Khantalran		82

26	Jhanj Kalan		58
27	Jogiran		131
28	Rohat Khera		5
29	Kalka		15
30	Bhonsala		5
31	Mohangarh		18
32	Kasuan		12
33	Koth kalan		101
34	Koth Khurd		20
35	Jajwan		21
36	Kheri jajwan		15
37	Badhana		41
38	Dhankhari		5
39	Rupgarh		5
40	Ajitgarh		5
41	Barodi		10
42	Shahpur		5
43	Chosala		10
44	Ramgarh		20

45	Jhulani Khera		5
46	Shudkhan Kalan		10
47	Kabarchha		10
48	Ditmara		251
49	Danoda Khurd		152
50	Danoda Kalan		262
51	Shudkan Kalan		11
52	Bhalan		5
53	Lodhar		5
54	Kalasar		4
55	Narwana		21
56	Mohal Khera		
57	Ismailpur		20
58	Dhakal		101
59	Dunerkhan Kalan		20
60	Sancha Khera		5
61	Simla		11
62	Pinjipura		5

63	Hatho		50
64	Dablain		50
65	Frain Kalan		50
66	Frain khurd		31
67	Badowal		5
68	Sunderpura		2
69	Kalayat		50
70	Bhikewala		50
71	mangal pur		12
72	Singhwala		25
73	Bhana Brahmna		5
74	Budhera		15
75	Sinsar		22
76	Badsikri Kalan		25
77	Badsikri Khurd		26
78	Bir Kharawala		20
79	Chak Badsikri		
80	Mataur		82
81	Badanpur		50

Grand Total of Shudkan sub-division	3027

Statement showing C.C.A. and U.C.A. village-wise which is not receiving irrigating during the last three years in Mundri Sub-Division of Narwana Division.

Sr.	Name of Village	Area not irrigated by Canal during the last 3 years out of	
		C.C.A. (Acres)	U.C.A. (Acres)
1	2	3	4
1	Habri		220
2	Barsana		101
3	Munrheri Sikandar		55
4	Kheri Sikandar		45
5	Thebrela		15
6	Ahun		112
7	Dushain		110
8	Ahmad pur		35
9	Buchhi		41
10	Budheras		62

11	Bhukha puri		35
12	Borsham		32
13	Habaitpur		51
14	Kermach		46
15	Batanpuri		42
16	Raisan		45
17	Hathira		52
18	Nigdhu		318
19	Bir Bhadawla		122
20	Basthali		172
21	Amupur		149
22	Baras		92
23	Geoda		62
24	Ror Majra		162
25	Koer		142
26	Chakda		105
27	Sitamadh		22
28	Achhanpur		98
29	Sirsal		190

30	Rukhsana		226
31	Dachar		82
32	Chorkarsa		62
33	Gondar		41
34	Chochara		312
35	Panghala		162
36	Shara		145
37	Teothan		271
38	Mohna		121
39	Jamba		142
40	Rasina		480
41	Tharota		168
42	Nissang		292
43	Guniana		132
44	Sakhra		210
45	Kheri Sahhra		20
46	Karsa Dhodh		148
47	Badnara		132
48	Patsana		61

49	Kaul		419
50	Duliani		122
51	Sangroli		262
52	Dheru Majra		62
53	Kheri Matrua		71
54	Fatehpur		51
55	Meaoli		62
56	Pundri		498
57	Jathari		32
58	Fahrals		312
59	Rawanhera		31
60	Bhons		140
61	Muduri		115
62	Naiana		71
63	Kakaudh		260
64	Narar		61
65	Sampan Kheri		13
66	Daodhkheri		51
67	Chandana		110

68	Peoda		25
69	Patti Chodhri		61
70	Patti Gardar		41
71	Pegan		52
72	Sisla Sismor		112
73	Harsola		32
74	Kheri Shero		72
75	sangal		85
76	Pai		71
77	Jakholi		61
78	Pilni		31
79	Sauch		
Total			9747

Statement showing C.C.A. and U.C.A. village-wise which is not receiving irrigating during the last three years in Narwana Sub-Division of Narwana Division.

Sr.	Name of Village	Area not irrigated by Canal during the last 3 years out of	
		C.C.A. (Acres)	U.C.A. (Acres)

1	2	3	4
1	Kansdahar		95
2	Datasinghwala		51
3	Garhi		52
4	Padrath Khera		41
5	Pipaltha		251
6	Chak Shan		11
7	Bhai Tak Singh		31
8	Nariangarh		16
9	Rerwal		131
10	Rasidan		71
11	Dhamtan		250
12	Ralwan		525
13	Sajuma		50
14	Dubal		21
15	Guhia		
16	Kurar		131
17	Kael		5
18	Dhanauri		125

19	Sinad		90
20	Kolekalan		45
21	Dhaudwa		31
22	Kheri Lamba		21
23	Kalayat		105
24	Kharak Pandwa		10
25	Bahmiwala		10
26	Bata		41
27	Chandana		35
28	Kutabpur		9
29	Roherian		21
30	Ujhana		150
31	Nepewalla		32
32	Gurthari		125
33	Narwana		70
34	Mohalkhera		15
35	Ismailpur		
36	Bhana Brahman		125
37	Gurusal		15

38	Surajkhera		12
39	Jatho		60
40	Dhakal		18
41	Belerkha		108
42	Frain Kalan		32
43	Frain Khurd		13
44	Khanpur		11
45	Nariangarh		12
46	Kahnakhera Karangarh		20
47	Loan		31
48	Hamirgarh		21
49	Kharal		132
50	Nehra		31
51	Khararwal		71
52	Bhimewala		14
53	samain		16
54	Julehra		42
55	Sulehra		158

56	Lohchab		21
57	Rajgarh Dhobi		51
58	Kaloda Kalan		112
59	Kaloda Khurd		40
60	Danoda Kalan		10
61	Danpda Khurd		10
62	Bhikhewala		12
63	Amritsar		31
64	Phulian Kalan		15
65	Phulian Khurd		10
66	Karnampura		20
67	Amargarh		26
68	Dharodi		81
Grand Total of Narwana Sub-division			4118

Statement of the Schemes sanctioned by the Government

Sr	Name of Scheme	Reference of sanctioning authority	Cost of the scheme	Discharge at head (in cs)	Total C.C.A. (in acres)	Remarks
1	Scheme for constg. Siwana Majra Minor taking off at R.D. 2450-R Dubaldhan Minor lining the same at RD-178400	Sanctioned vide Govt. Memo No. 7774-3PW-II/76/37902, dated 4-11-76.	352000	15 cs.	5749	Work will be taken up according to the availability of funds.
2	Scheme for extension of Guhana Mr. from RD-33780 to RL-37300 taking off at RD-38750 R. Bhalaut Sub-Branch	Sanctioned vide Chief Engieer No. 5912/197/74, dated 11-7-1975.	75000	2.70 cs. (at tail)	1021	Land to be given by the Panchayat. Action is under process.

3	Schme for extension of Makrauli Mr. From Rd-26200 to RD-32700 off taking at RD 103000-R. Bhalaut Sub-Branch	Sanctioned vide Govt. Memo No. 3295-3-Pw-II-77/12718 dated 5-5-1977	115000	23 cs.	8813	Work will be taken up after acquiring land on availability of funds
4	RD-103850-L Bhalaut Sub-Branch and lining with old Kiloi Mr. at RD-95000-old	Sanctioned vide Govt. Memo No. 5446-3-PW-II-75-22750 dated 21-7-75	337800	9 cs.	2993	Land had been acquired. Work will be taken up on availability of funds
5	Schme for converting pucca water course of 0/L-Rd-17560-L Rohtak	Sanctioned vide Govt. Memo No. 1001-3-Pw-	90000	2.75 cs.	1048	Action is being taken to acquire land and work will be taken up on availability of

	Disty. into Minor village Sikandarpur Majra	II-75/9401 dated 24-3-75				funds.
6	Schme for constn. Bichpari Mr, taking off at Rd-4000-L Butana Disty. including extension of Gudha Mr. from Rd-33000 to Rd-39000	Sanctioned vide Govt. Memo No. 10665-3-PW-II/75/44762 dated 24-12-75	614000	25.40 cs.	8287	Alignment is under finalization.
7	Scheme for extension of Lath Minor from RD-18500 to 21970 off taking at Rd-34175-L Bhalaut Sub-Branch	Sanctioned vide Govt. Memo No. 58-68-3-Pw-II/75/24606 dated 28-7-75	82100	10cs.	3838	Land is being acquired.

8	Schme for extension if Bir Bangra Minor RD-12880-18500 and Constn. of Bahri Sub-minor from RD-1600 off taking from Bir-Bangra Mr. at RD-3550-L	Sanctioned vide CE letter No.78/RC/ 2/dt. 9-1-68	85903	7.84	3269	Land was to be given free of cost originally but Zamindars resisted and refused. Action is being taken acquire the land and work will be started thereafter on availability of funds
9	Schme for extension Shamdoo Mr. RD-73000 to 79400	Sanctioned vide Govt. Memo No. 4594-3PW-II-75/19294 dated 16-6-75	83000	12.5	4871	do
10	Scheme for extension of Throata Mr. RD-54260-	Sanctioned vide Govt. Memo No.	267500	53 cs.	4696	do

	73560	8967-IPW-II-71/33937 dated.16-11-71				
11	Scheme for constg. of Iharodi Sub-minor Rd-0-5800	Sanctioned vide Govt. Memo No. 2294-3-PW-II-77/8913 dated 25-3-77	86861	3.25 cs.	1327	The Scheme is under review with the Deptt.
12	Scheme foe Contg. of Belerkha Sub-Minor RD-0-9700 of taking Dharodi Minor	do	240801	2.75 cs.	1143	do
1	Extension of Mohalgarh Minor	do	90263	1.75 cs.	808	do

3	Rd-56000 to 60400					

Employees of Municipal Committee and Notified Area Committees

***100 Sathi Ayodhya Parshad**: Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the number of such employees of Municipal Committees and Notified Area Committees in district Mohindergarh as have been under suspension for the last two years or more; and

(b) Whether it is essential under the rule to take approval from the Government for continuation of suspension after the expiry of six months of the employees as referred to in part (a) above, if so, the number of such cases in district Mohindergarh in which approval has not been taken?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन):

(ए) तीन।

(बी) नहीं ।

Death of Smt. Santosh Kumari Pabri

***107 Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether any complaint regarding the death of Smt. Santosh Kumari Pabri of Village Noonia Ka Nangal, Police

Station Nangal Ch. District Mahendergarh was recieved by the District Superdiendent Police, Narnaul during the year 1975;

(b) is so, the action taken thereon by the police together with the results thereof; and

(c) Whether any applications regarding the alleged above mentioned murder was given to the Chief Minister of Haryana on 9-7-76 by shri Gautam Kumar Pabri, brother of late Santosh Kumari and if so, the action taken thereon?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(अ) नहीं।

(ब) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

(स) हां, संदर्भित ि ाकायत पुलिस अधीक्षक, नारनौल को उचित कार्यवाही हेतू भेजी गई थी। इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक, नारनौल द्वारा जांच की गई थी और जांच पाया था कि श्रीमति संतोश कुमारी की प्राकृतिक मृत्यु टैटनस की बीमारी के कारण हुई थी।

Complaint against the B.D.P.O., Hisar.

***124. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) the number of complaints reveived against the B.D.P.O., Hissar No. 2 during the period from 1-4-1976 to date;

(b) whether any enquiry has been conducted; if so, the action taken thereon;

(c) the names of the officers who conducted the enquiry together with the naute of the complaints as referred to in part (a) above?

विकास तथा पंचायत मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(ए) इस खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी के विरूद्ध 14 ि ाकायतें प्राप्त हुई है, जिनमे से 2 उपायुक्त हिसार के पास प्राप्त हुई थी।

(बी) इन ि ाकायतों मे प्रारम्भिक जांच प्रगति अधीन है।

(सी) एक ि ाकायत की जांच मण्डल आयुक्त द्वारा की जा रही है और भोश 13 ि ाकायतों की जांच उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), हिसार द्वारा की जा रही है। इन ि ाकायतों मे भ्रश्टाचार, परिवार नियोजन में ज्यादतियां, व्यवहार की कमियां आदि संबंधी आरोप सम्मिलित है।

अतारांकित प्र न उत्तर

Out door and Indoor Patients

19. Rao Dalip Singh: Will hte Minister for Food and Supplie's be pleased to state—

(a) the total number of out door and in door patients of Cholera and diarrhoea treated in the Hospitals during the year 1974-75, 1975-76, 1976-77 and to date in the State; and

(b) the total number of patients out of those referred to in part (a) albove died in the Hospitals?

Food & Supplies Minister (Smt Kamla Verma): financial year wise information is not available. Information for Calender year wise is given below:--

Year	Cholera (Total No. of Out door & Indoor patient)	Diarrhorea (Total No. of Out door & in door patient)
(a) 1974	381	415160
1975	11	495391
1976	3	301290
Upto 30th September, 1977	23	Figures not yet recived
(a) 1974	10	374
1975	nil	392
1976	1	257
Upto 30th September,	nil	Figures not yet recived

1977		

Diptheria Patients

20. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) the total numbe rof Diptheria patients admitted in the Hospitals during the years 1975-76, 1976-77 and to date in the State; and

(b) the total numbe of patiesnts out ot those referred to in part (a) above died in the Hospitals in the State?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा): वित्तीय वर्श के आधार पर सूचना उपलब्ध नही है।

(ए) वर्श 1975 तथा 1976 के कलैण्डर साल मे हरियाणा राज्य के हस्पतालों मे दाखिल डिपथैरिया रोगयिों की संख्या क्रम ाः 133 तथा 128 है।

(बी) वर्श 1975 तथा 1976 मे जो डिपथैरिया रोग से मरे है, उनकी संख्या क्रम ाः 43 तथा 26 है।

वर्श 1977 की वास्तविक संख्या फील्ड से एकत्रित की जा रही है।

Blind, Deaf and Dumb Persons in the State

21. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Social Welfare be pleased to state—

(a) the total number of blind, deaf and dumb persons separately in the ?State at prestn, if so, the details thereof; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to evolve any scheme for the well being of persons as referred to in part (a) above?

समाज कल्याण मंत्री (श्री प्रीतसिंह):

(क) (i) नेत्रहीन 10538

(ii) बहरे तथा गूंगे 6198

उपरोक्त आंकड़े वर्श 1973–74 के ने ानल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट पर आधारित है इसीलिये उक्त आंकड़े उसी वर्श तक के लिये गये है। इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नही है।

(ख) ऐसे विकलांग व्यक्ति निमे नेत्रहीन, बहरे तथा गूंगे व अपंग व्यक्ति भाामिल है, और अपनी आजीविका कमाने मे असमर्थ है, को 1–4–1977 से 25 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की दर से पैं ान देने की एक स्कीम स्वीकृत की गई थी तथा इसके अतिरिक्त उस समय के वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाशण दिनांक 24–3–1977 मे इस पैं ान की दर 25 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की दर से बढ़ा कर 50 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति करने की

घोशणा की थी। परन्तु यह मामला सक्रिय रूप से राज्य सरकार के विचाराधीन है ? इस योजना के लिये वर्श 1977–78 मे (Schedule of new expenditure) में 8.25 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। पैं ान की दर बढ़ाये जाने के बारे मे सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के प चचात इस स्कीम को कार्यान्वित किया जायेगा।

इस कीम का प्रारूप नियम सरकार के विचाराधीर है। इस बारे मे आवेदन पत्र आमन्त्रित नही किए गए है। फिर भी आका ावाणी द्वारा प्रसारित सूचना के आधार पर इच्दुक व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिए तथा दिनांक 14–10–1977 तक 170 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके है।

Supply of Water

22. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the quantity of wather being supplied from the locak water works to the residents of Mohindergarh town per head daily at present;

(b) whether the Mohallas of the Scheduled Castes in the town get sufficient water per head daily; and

(c) if not, the time by which the arranngements are likely to be made for the supply of water in the Mohallas a referred to in part (a) above?

अंतरिम उत्तर

''मंगल सैन अर्ध सरकारी क्रमांग 16760.4क

(2)

—77 / 32880

मंत्री,

उद्योग विभाग,

हरियाणा,

चण्डीगढ़ ।

विशयः— राव दलीप सिंह, एम.एल.ए. द्वारा अधिसूचित क्षेत्र समिति महेदन्द्रगढ़ मे जल वितरण सुविधा बारे पूछा गया प्र न क्रमांक 22।

प्रिय ब्रिगेडियर रण सिंह,

मैं आपको सूचित करता हूं कि अतारांकित प्र न क्रमांक 22 अधिसुचित क्षेत्र समिति महेन्द्रगढ़ की जल वितरण योजना बारे मे जो राव दलीप सिंह, एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया है, का विधान सभा मे 18—10—77 को उत्तर अभी तक उपायुक्त नारनौल अधिसूचित क्षेत्र समिति महेन्द्रगढ़ द्वारा नही भेजा गया है। अतः मेरे विचार में इस प्र न का उत्तर 18—10—77 को दिया

जाना सम्भव नही है। इन परिस्थितियों मे मैं आपका आभारी हूंगा,यदि आप कृपया इस प्र न का उत्तर तैयार करने हेतु एक सप्ताह की बढ़ौतरी दे।

सादर

आपका

हस्ता–

(मंगल सैन)

श्री रण सिंह

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।''

वि ोशाधिकार प्र न

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरा एक निवेदन है। (विघ्न)

संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ): स्पीकर साहब, ये किस चीज पर बोल रहे है ? (विघ्न).....

Shri Surender Singh: I want to seek protection from the Chair, क्या आपको एतराज है इस मामले मे ? (विघ्न)..... .....

श्री अध्यक्षः किस चीज के बारे मे आप बोल रहे है ?

श्री सुरेन्द्र सिंहः एक गम्भर मसला है। (विघ्न) गिरफ्तारी का मुझे डर नही है। आप गिरफ्तार करें लेकिन कायदे कानून से करें। यह कोई तरीका नही है कि.....(विघ्न)...

चौधरी भजन लालः प्वायंट आफ आर्डर, स्पीकर साहब। मैं आपसे यह रूलिंग चाहता हूं कि माननीय सदस्य किस बात पर बोल रहे है? (विघ्न) कैसे बोल सकते है ? स्पीकर साहब की परमि ान के बगैर बिल्कुल बोल सकते । (विघ्न) वे किस आधार पर बोल रहे है?

श्री अध्यक्षः आप बैठिये, मैं जवाब दूंगा। आप किस रूल के तहत बोलना चाहते है ?

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं बोलना चाहता हूं सदस्यों के सदन मे प्रवे ा से रोकने के बारे मे ।

श्री अध्यक्षः लेकिन रूल तो बताएंगे ? आप रूल कोट कर दे। (विघ्न)

श्री सुरेन्द्र सिंहः आपका एस.पी. मुझे लाबी मे गिरफ्तार करे और मैं उस पर बोल न सकूं। (विघ्न)...

श्री अध्यक्षः मैं खुद ही पूछ रहा हूं। (विघ्न)

श्री सुरेन्द्र सिंहः आपको तो पिता जी का फोबिया हो गया है। आपको तो रोजाना वे नजर आते है। (विघ्न) कल तो आप यह पूछ रहे थे कि कब तक सजा होगी। कायदा तो अदालत से तय होगा। अगर आपके हाथ मे होता तो कब की हो गई होती।

Mr. Speaker: I wil l requesti the hon. Member ot please sit down. Unless yo quote the rule unde whcih you wish to speak, you cannot do so.

राव विरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं यह चीज आपसे अर्ज करूंगा कि जोरो आवर मे कोई इम्पोटैंट चीज can be raised, particularly a question of privilege of the House and its Membes, which is under your proteciton. That can be raised with your permission.

Mr. Speaker: That can be raised. But he should mention what is the subject. And what is the rule?

Rao Birender Singh: Privilege is the subject.

Mr. Speaker: Let him say so.

Rao Birender Singh: He has said it ten times. -(Interruption)-

मो ान की बात नही है। मो ान के लिये टाईम है। मो ान के लिये टाईम होता है सुबह देने का। लेकिन अगर वह टाईम नही है तो चेयर की परमि ान से प्रिवलेज का क्वे चन हर वक्त कोई भी मैंबर रेज कर सकता है। यह एक मैंबर का सवाल

हनी है, हाउस की प्रिवलेज का सवाल है। इस मामले मे कम से कम आप गड़बड़ी न डाले। यह तो सबके लिये एप्लाई होता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः देखिये, मैं एक रिक्वैक्ट करूंगा कि कोई मैंबर बैठे बैठे न बोले। उनका सवाल मेरे से है। आपके पेट मे दर्द क्यों हो रहा है ?

राव विरेन्द्र सिंहः पता नही क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्षः अपा कायदा कानून बरते। जो सवाल पूछता है उसको भाान्ति से सुने। आप भी प्वायंट आफ आर्डर रेज कर सकते है। फिर हम आपकों भी सुनेंगे। तो इसके लिये आपको नोटिस देना पड़ेगा। इसके इलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करूगा कि आप मेरे पास चैंबर मे आएं और मेरे से बात करे। (विघ्न).....

राव विरेन्द्र सिंहः जहां तक नोटिस का सवाल है, अगर मुझे कल यहां आने ही नही दिया गया तो मैं कैसे नोटिस दूंगा ?

श्री अध्यक्षः मैंने कहा कि आप चैंबर मे आएं, मैं आपसे बात करूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंहः आपके चैंबर मे जाने से पहले भी अगर पुलिस खड़ी हो तो ? आज मुझे लाबी मे एस.पी. ने कहा.....

श्री अध्यक्षः आपबेफिक्र रहे, यहां आपको कोई पकड़ नही सकता।

राव विरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यही तो वे कह रहे है कि लाबी मे पकड़ा गया। लाबी मे मिला पुलिस वाला। This is a very serious matter of privilege. When a Member states in the House that he was prevented from coming into the House while he passed through the lobby, it becomes a question of privilege.

श्री अध्यक्षः राव साहब, मैं गारंटी देता हूं कि यहां पर कोई नही पकड़ा जायेगा। मैंबर साहब को मैंने कहा है कि वे मेरे से अपनी तकलीफ चैंबर मे बताएं, उसका मैं हल करूंगा।

राव विरेन्द्र सिंहः लेकिन हाउस भी सुन ले तो आपको कोई एतराज नही होना चाहिये।

श्री अध्यक्षः इसके लिये तो इनको नोटिस देना पड़ेगा कानू के लिहाज से।

राव विरेन्द्र सिंहः अगर ऐसी चीज है तो आप इनका नोटिस लीजिए। आप इनसे पूछिए कि क्या बात थी। Every body is intersted. It is every body's intrest. It is not the interst of the Chair only. –(Interruptions)-

Mr. Speaker: Please sit down for a while. Let me say something. Rule 262 of the Rules of Procedure reads—

"A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencemnet of the sitting on the day the question is proposed to be raised. It the quesiton raised on a document, the notice shall be accompanied by the document."

मैं इसके बारे मे एक ाऔर चीज आनरेबल मैंबर साहेबान की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं और वह यह है कि the Government of India have issued instructions to the authorities concerned to the effect that courts of law shold not seed to serve a legal process, civil or criminal, on the membes of Parliament through the Speaker or the Secretariat. The appropriate procedure is for the summorns to be served direct on the members concerned outside the precincts of Parliament or Vidhan Sabha i.e. at their residence or at some other place.

राव विरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जरा एक मिनट देख लीजिए।

Rule 2165 reads—

"The Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of a sitting. Such question shall be raised at any time during the course of a sitting. Such question shall be raised at the earliest opportunity and shall not ordinarily require notice."

This is where he can raise this question.

Mr. Speaker: When dis he face any difficulty?

Shri Surender Singh: Today only.

Mr. Speaker: What time?

Shri Surender Singh: Before I entered the House.

Mr. Speaker: What time was that?

Shri Surender Singh: It was 9.15.

Rao Birender Singh; During the sitting. – (Interruptions)-

श्री अध्यक्ष: अब आप यह कह रहे है। यह कौन सी नई बात है। पुलिस पहले भी पीछे पीछे फिरती रहती थी। (विघ्न)

Rao Birender Singh: This is the earliest opportunity after the question hour to raise this matter. (Interruptions)

Mr. Speaker: I have given a ruling that for this you may kindly see me in my Chember first. If required. I will leave the Chair a little earlier to listen to you and then I will give my decision.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): स्पीकर साहब, कल हमारे दे ा की अखबारों मे एक सनसनी खेज रिपोर्ट प्रका ित हुई है जिसको पढ़ कर हम सब हरियाणावासियों का माथा भार्म से झूक जाता है। यह जो स्टेट गजटीयर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट गजटीयर के अन्दर, हमारी जो पिछली सरकार थी बंसी लाल जी की, उसने

अपनी तारीफ कराने के लिये प्रलोभन देकर, जायज नाजायज तरीके का इस्तेमाल करके.....

श्री अध्यक्षः एक मिनट के लिये स्वामी जी आप बैठिये। इसके लिए आपको भी नोटिस देना पड़ेगा। उसके बार ही आप बोल सकते है।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय जीरों आवर मे तो बोला जा सकता हैं,

राव विरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आपने जो फैसला किया है इससे बड़ी दिक्कत पड़ेगी। स्वामी जी को अब दिक्कत पड़ हरी है और मैंबरर्ज को रोज पड़ेगी। इसलिये आप की जो रूलिंग है इसके बारे मे मैं फिर अर्ज करूंगा कि आप इसको री कंसिडर करिये और जो अरजैंट मैंटर हो वह जीरों आवर मे स्पीकर सहाब के नोटिस मे लाया जाये। आप इसके लिये नोटिस के लिये इनसिस्ट न करें वरना प्रजातंत्र वाले नाने की बात रहती नही (विघ्न) जिसके नाम पर राय लेकन जगन नाथ जी यहां बैठे है।

श्री अध्यक्षः मैं राव साहब से निवेदन करूंगा कि जब मैं कोई चीज कहता हूं तो बहुत सोच विचार के कहता हूं। मैं तो यहां तक तैयार हूं कि अब चंद मिनट के बार अपनी चैंबर मे जाऊंगा, आनरेबल मैंबर ाके सुनूंगा और अगर कोइ ऐसी बात हुई तो उसका प्रबंध किया जायेगा।

वर्श 1977–78 के अनुपूरक अनुमन (पहली किस्त)

(i) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमान

श्री अध्यक्षः अब एजैंडं की नैक्सट आईटम सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस (फर्स्ट इन्सटालमेंट) 1977–78 की है। Thise hon. Members who wish to discuss the charged items may plaese to so.

(इस समय राव बीरेन्द्र सिंह बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री अध्यक्षः पहले चार्जड आईटम पर डिसक ान होगी।

राव विरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप जनरल डिसक ान अलाउ कर दीजिए। पहले भी ऐसे होता रहा है। डिमांडज पर वोटिंग बाद मे होगी।

श्री अध्यक्षः पहली आईटम चार्जड आइटम्ज की है। उसके बाद डिमांडज फार सप्लीमेंटरी ग्रांटस पर डिसक ान और वोटिंग होगीं चार्जड आइटम, जैसा आप जानते है गर्वनर साहब तथा स्पीकर आदि के खर्चे के संबंध मे होती है, इन पर मेरा ख्याल है कोई खास डिसक ान की आव यकता नही होती और न ही कोई एतराज किया जाता है। उसके बाद जब दूसरी आईटम यानी डिमांडज फार सप्लीमेंटरी ग्रान्टस आयेंगी, उस पर मैंबर साहिबान अपने ख्यालाता का इजहार कर सकते है।

(कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा नही हुआ)

(ii) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: According to the previous practice and in order to save the time of the House all the demands for grants appearing on the Order paper will be deemed to have been read and moved together.

The hon. Members canraise discussion on the demands bt while speaking they will have to indicate the demand number on which they want to raise discussion

That a supplementary sum not excceeding Rs. 100000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978, in respect of Demand No. 11-Uurban Development.

That a supplementary sum not excceeding Rs. 1902725 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978, in respect of Demand No. 12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not excceeding Rs. 12700000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978, in respect of Demand No. 17-Agriculture.

पे तर इसके कि मैंबर साहिबार बोले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल काफी मैंबर मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने का कल मौका नही मिला। हम कोि ा ा करेंगे कि आज ज्यादा से ज्यादा मैंबर साहिबान को बोलने का मौका मिले।

इसलिये एक दो मैंबर्ज के सिवाए, वह भी किसी खास वजह से, बाकी सब को पांच मिनट से ज्यादा टाईम नही मिलेगा। तो मैंबर साहिबान ज्यादा समय लेने की कोि ा ा न करें ताकि दूसरे मैंबर्ज को भी टाईम मिल सकें दूसरे जब भी मैंबर साहिबान बोले वह डिमांड नंबर जरूर बतायें जिस पर वह बोलना चाहते है क्योंकि तीन डिमांडज नंबर 11, 12 और 17 एजैंडे पर है और डिसक ान करते हुए डिमान्ड के स्कोप से बाहर न जाये।

दूसरी बात यह है कि कल भी हिन्दी और इंगलि ा के बारे मे काफी बहस हुई है। मेरा निवेदन यह है कि इस बारे मे काफी सेंटीमेंटस इनवौलवड है। कोई किसी जबान मे बोलना पसन्द करता है और कोई किसी जबान मे। अब तक तो हमारे रूल्ज जो अपाने बनाये है, इसके मुताबिक अंग्रेजी और हिन्दी जैसे हरियाणवी भी है, मे डिसक ान हो सकती है। जब तक आप इस कानून यानी रूल्ज के अन्दर कोई चेंज नही लाते तब तक स्पीकर याह डिप्टी स्पीकर वगैरह जो भी प्रीजाइड करेगा, इन रूल्ज को ही फालो करेगा। मेरा अपना ख्याल है कि जो भी रवायात है, सिस्टम है, हमारी लोकसभा मे, उनको फालो करेंगे और उस प्रोसिजन को जारी रखेंगे। अगर आप बहुत महसूस करते है तो रूल्ज मे तबदीली कर दें जिस पर पूरी तरह से गौर किया जा सकता है। लेकिन होना यह चाहिए कि सब मैंबर्ज को हिन्दी मे बोलने की कोि ा ा करनी चाहिये।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): डिप्टी स्पीकर साहब, सप्लीमेंटरी डिमांडज इस सरकार की ओर से आज पहली बार हाउस मे पे ा की गई है। यह पहला मौका है जब सरकार की नीतियों के विशय मे इस हाउस मे कुछ कहा जा सकता है। मैंने इन सारी डिमांडज को पढ़ा है। मैं दो तीन डिमांडज के विशय मे खासतौर पर जिक्र करना चाहता हूं। इसमे कुछ ऐसी मांगें भी की गई है जिनके तहत कोर्टस की डिक्री की बिन पर सरकार को रूपया देना पड़ रहा है। इनमे कुछ ऐसी डिमांडज भी है जो नयी रेज की गई है। 1 करोड़ 27 लाख रूपया ऐग्रीकल्चर के लिये मांगा गया है। यह रूपया फौस्फेटिक और पोटैि ाक खाद मे सबसिडी देने के लिये मांगा गया है। सरकार का तजुर्बा है कि पोटौि ाक और फौस्फेटिक मे पहले भी सबसिडी दी गई है और उससे स्टेट को इतना ज्यादा फायदा नही पहुंचा है। डिप्टी स्पीकर साहिब, हमारे देखने की बात आयी है जितना सरकार की तरफ से लोन दिया जाता हैं और जितनी सबसिडी दी जाती है उसमे से बहुत हद तक रूपया लीक हो जाता है। और वह रूपया गलत जगह मे चला जाता है। क्योंकि सरकार की नीति ही इस प्रकार की है। सरकारी अफसरों से मिल कर एजेंसियों ने और कुछ डिलर्ज ने ऐसा तरीका अपना रखा है कि वह रूपया पूराउन तक नही पहुंचता है। जो भी लोन दिया जाता है चाहे वह ट्रैक्टर के लिये है, चाहे मोटर के लिये है वह सारा रूपया डीलर्ज ने ऐसाा तरीका अपना रखा है कि वह रूपया पूरा उन तक नही पहुंचता है। जो भी लोन दिया जाता है चाहे वह ट्रैक्टर के लिये है, चाहे वह

मोटर के लिये है वह सारा रूपया डीलर्ज के थ्रू दिया जाता है। लोन लेने वाले किसान को कहा जाता है। कि फलां डीलर से यह चीज खरीदी जायेगीं उस डीलर को ही वह लोन चा सबसिडी पे कर दी जाती है। इस प्रकार से डीलर पैसा खाता है और कुछ पैसा सरकारी ऐजिंसियों के पास चला जाता है। असल मे किसान के पास तो बहुत कम रूपया पहुंच पाता है। सरकार की ओर से फौस्फेटिक और पोटौि ाक खाद किसानों को मुहैया करने के लिये 1 करोड़ और 27 लाख रूपया मांगा जा रहा है, इस पर हमें कोई एतराज नही है लेकिन एक बात जरूरी एतराज की हे कि सरकार यहां हाउस की तसल्ली कराये कि किस तरीके से यह सबसिडी दी जायेगी और कौन सी एजेंसी होगी। डीलर्ज एजेन्सी से मिल कर खा न सके। आमतौर पर ऐसा होता है कि डीलर्ज रसीद झूठी बनाते है और सरकार से सबसिडी का रूपया वसूल कर लेते है और किसान को वह खाद न देकर, सरकारी रूपये को खा कर दूसरी जगह पर खाद भेज देते है। इस प्रकार से एग्रीकल्चर के क्षेत्र मे हर चीज के लिये रूपये का गबन होता है। और रूपया बरबाद होता है। एक चीज तो सरकार यह साफ तौर पर बताये कि किस तरह से 1 करोड़ और 27 लाख रूपये की सबसिड़ी का वितरण होगा। जैसा कि हमे ाा देखने मे आया है कि एग्रीकल्चर मे जितना रूपया दिया जाता है उसमे से आधा पैसा इस्तेमाल होता है और आधा पैसा बीच मे ही खा लिया जाता है। इस 1 करोड़ 27 लाख रूपया के मुताल्लिक हाउस की तसल्ली करानी जरूरी है।

दूसरी चीज 1 करोड़ 72 लाख रूपये के बारे मे है, इस रूपये को सरकार पंजाब को देना चाहती है। हरियाणा और पंजाब जब इकट्ठे थे तब लोन लिया था। उसका 33.8 परसैंट हिस्सा हरियाणा के जिम्मे आया हुआ है। यह लोन हरियाणा बनने से पहले का है। मैं मानता हूं कि जो कुछ देना हो वह पंजाब को देना चाहिए। इस रूपये को देने मे ग्रेस इस्तेमाल करनी चहिये। यह बात सरकार की ठीक है लेकिन जब इतनी बड़ी रकम हरियाणा सरकार पंजाब के हवाले कर रही है तो देखने वाली यह बात है और सरकार का फर्ज है कि क्या हरियाणा के लिये भी पंजाब अपनी बात को पूरा करने जा रहा है या नही। अभी हम अखबारों मे पढ़ रहे है और सरकार ने इस पर कोई खास रो ानी नही डाली। पिछले सै ान मे जब मैंने कुछ सवाल उइाया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह सवाल हरियाणा और पंजाब के झगड़े का इस वक्त पैदा तो किया है दूसरों ने, हरियाणा का हक अगर किसी ने दबाया है तो वह पंजाब ने दबाया है और वह सैंट्रल गवर्नमैंट की भाह पर दबाया है, तो उसे हल करने के लिये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस बात मे कोई भाक नही होना चाहिए कि खाली खामो ा रहने से कोई बात नही बनने वाली, अगर हमारे खामो ा रहने से सरकार हरियाणा के हक मे कोई जायज फैसला करा सकती है, हरियाणा के हकूक दिला सकती है तो अपोजी ान को कोई एतराज नही होगा। हम खामो ा रहने के लिये तैयार है। अगर मेरे सवाल उठाने से इन मामलों को हल करने मे कोई अड़चन पड़ती है तो मैं खामो ा

रहने के लिये तैयार हूं, हम तो यहां पर इस लिए चुनकर नही आये कि हम ने कोई सरकार बनानी है, हमारी तो एक छोटी सी पार्टी है, उसे हरियाणा के लोगों ने इसलिये यहां अपोजी ान करने के लिये भेजा है कि सरकार बनाने वाले तो बहुत है, जो हवा के साथ चलते है, वह तो बहुत है, लेकिन हम जाकर हरियाणा के हकूक की हिफाजत करे। जब हम यहा आये यहां है तो हम अपना यह फर्ज समझते है कि जहां तक हो सके हरियाणा के हकूक की हिफाजत की जाये। जहां तक हरियाणा के हकूक का सवाल है, हमारी इस हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह हरियाणा की जनता को यह बताये कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर साहब यह कहे कि मेरी वजह से उनको पंजाब के साथ मामले हल करने मे कोई अड़चन पड़ती है तो मै तो डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस को यह वि वास दिलाता हूं कि अगर हरियाणा के हकूक के मिलने मे कोई मदद मिले तो मैं तो असैंबली से इस्तीफा तक देने के लिये तैयार हूं। मैं आज यहां से यह एलान करता हूं कि लेकिन आज मैं यह भी यहां पर कहना चहाता हूं और मैं आपके जरिये सरकार को यह वि वास दिलाना चाहूंगा कि अगर सरकार चुपके चुपके, कानाफुसी करके मामलों को हल कर सकती है तो भी हमें कोई एतराज नही है लेकिन नतीजा तो हमे देखना पड़ेगा। एग्रीमेंट क्या हुआ था पानी के बारे मे, पंजाब ने पानी तो नही दिया लेकिन 1 करोड़ और 72 लाख रूपया हरियाणा सरकार बड़ी हमदर्दी के साथ हथेली पर रखकर पंजाब के पे ा कर रही है। क्या इस वक्त इस बात की जरूरत

नही है कि हम सरकार से यह पूछे कि जब आपकी आपसी सुलह है, आपस मे प्यार है, हम उस प्यार मे फर्क नही डालना लेकिन हरियाणा के हक मे जो फैसला हुआ था रावी ब्यास के पानी का 3.5 मिनियन एकड़ फीट देने का, उसका क्या बनाया ? सन 1955 मे यह मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान को मिलना था । आज 12 वर्श हो गये डिप्टी स्पीकर साहब, उस पानी मे से 8 मिलियन एकड़ फीअ तो राजस्थान ले गया और हरियाणा और पंजाब सोते रहे। जो 7.2 मिलियन एकड़ फीट तो राजस्थान ले गया और हरियाणा और पंजाब साते रहे। जो 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी रहा गया उस 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी मे से सैंट्रल गवर्नमैंट ने यह फैसला दिया कि 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को और 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब को दे दिया जाये।

Mr. Deputy Speaker: I will request the hon. Member to keep himself confined to the demands unde discussion.

Rao Birender Singh: I am relevant to the subject. It is a quesiton of giving money to Punjab and it is a demand befor the House. It is a matter of policy.

Mr. Deputy Speaker: You are discussing Demand No. 17?

Rao Birende Singh: I am discussing Demand No. 18?

Mr. Deputy Speaker: It is a charged item.

राव बीरेन्द्र सिंहः तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज कर रहा था (व्यवधान) जरा भाांति से सुनिये। कल इस हाउस मे एक चेयरमैन साहब ऐसे आये, जिनसे हमे इतनी उम्मीद नही थी, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक चेयरमैन साहब कल जो बैठे थे उन्होंने अपोजी ान का ही गला घोंटने की कोि ा ा नही की बल्कि अपनी पार्टी के मैंबरों का भी गला घोंअने की कोि ा ा कीं अगर इस तरीके से ही इस हाउस की कार्यवाही चलायी जानी हे तो मुझे कोई एतराज नही है। .....आप कहेंग तो मैं बैठ जाऊंगा । (व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: I think, you will not cast any reflection on the Chair.

When the Hon. Speaker asked the hon. Members to dicuss the charged item, you did not rise.

राव बीरेन्द्र सिंहः मै खड़ा हुआ था। अब आप फैसला कर लीजिये कि मुझे आप दोबारा मौका देंगे बोलने का या मुझे अभी बोलने देंगे ? अगर आप मुझे दोबारा मौका देंगे तो मैं अभी बैठ जाता हूं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हाउस का टाईम भी बच जाये और मेरी बात भी कही जाये। अगर आप चाहते है तो मैं इतनी ही कहकर समाप्त कर देता हूं।.....

Mr. Deputy Seaker: The time is limited and other hon. Members also want to speak.

राव बीरेन्द्र सिंहः अगर आप मैंबर्ज के लिये टाईम बचाना चाहते है तो मैं आपके साथ हूं डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पंजाब के साथ जो एक पालिसी मैटर इनवौल्वड है, उसके ऊपर बोल रहा हूं। जिन डिमांडज पर डिक ान होगी, वे आर्डर पेपर के मुताबिक इस प्रकार हैः–

1. Discussion on the Estimates of the expenditure charged on the revenue of the State.

पहले इस पर डिस्क ान है। उसके बाद फिर दूसरी आईटम आयेगी।

Mr. Deputy Seaker: When the hon. Speaker asked the hon. Members to discuss the charged items if they wished to do so, none rose to speak.

राव बीरेन्द्र सिंहः मैं तो खड़ा हुआ था।

Mr. Deputy Seaker: The House has taken the next item.

Rao Birender Singh: The House has not taken the next item. I got up at that time. I was not allowed to speak. मैंने उस समय एतराज किया और मैंने यह कहा कि सारी डिमांडज इकट्ठी ले लीजिये। आपको भी याद होगा कि मैंने ऐसा कहा था। अगर आप यह कहंगे कि मैं न बोलूं तो में अभी खत्म कर देता हूं। जो चीजे इसमे कहने की है अगर उन पर डिस्क ा नही होगी तो क्या ऐसी चीजों पर होंगी ? अगर इस डिस्क ान मे सांड

वाली बात करता हूं क्या अच्छा लगेगा कि किसी के पास अच्छी किस्म का सांड था लेकिन ये पकड़ कर ले गये। यह अच्छी नस्ल बनाने की बात करते है लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब किसान से सांड छीन कर भेज देते है और आज उसका जब वह कोर्ट से डिक्री लेकर आता है, उसको पैसे देने पड़ते है, क्या हम ऐसी बातो पर बोलेंगे ? अगर ऐसी बाते ही कहनी है, तो इसका तो कोई फायदा नही है। आप चाहे तो डिस्क ान की लिमिट कर दे। लेकिन अगर आप हमें बोलने के लिये समय मांगा था। अगर ये सारे सदस्यगण जो यहां पर बैठे है। यह कहते है कि मैंने समय नही मांगा तो ठीक है, मैं बैठ जाता हूं।.....(व्यवधान).....आप तो बड़े भारीफ आदमी है। आप बड़े समझदार भी है। मुझे आपसे यह उम्मीद नही है कि आप मुझे रोकना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्षः आप जल्दी खत्म कर दीजिये।

राव बीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ देना है वह बड़े भाोक से दीजिए पड़ौसी सूबे को लेकिन उनसे यह तय कर लीजिये कि भाई जो हमारा हक है वह भी तो हमें दो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि थोक डैंम के मुताल्लिक हम बहुत परे ाान है। पंजाब वालों ने फैसला करा लिया, हम खामो ा रहे तो । बात कैसे बनेगी। हरियाणा को बुलाया तक हनी गया उस फैसले के अन्दर एक मिलियन एकड़ पानी का मामला है। न बिजली मे हक मांगते है हरियाणा का और न पानी

मे हक मांगते है हरियाणा का और चीफ मिनिस्टर कहते है कि मैं अपने आप मामले को सुलझा लूंगा। हम खामो ा रहे। उधर अकाली दल की एग्जैक्टिव की मीटिंग होती है और हिन्दी स्पीकिंग एरियाज की बात करते है और फाजिल्का और अबोहर को देने की बात ही कोई नही करता। (व्यवधान) थीन डैम के ऊपर बुलाएंगे, तो मैं चुप हो जाऊं आप जिम्मेदारल लेते है। यह चौधरी साहब कल जवाब दे रहे थे कि हरियाणा को जो आधा हिस्सा है वह सतलुज ब्यास लिंग जब तक न बने तब तक हम पानी का इस्तेमाल नही कर सकते। बारह साल से हमारे हिस्से कापानी पंजाब इस्तेमाल कर रहा है। क्यों नही वह रोपड़ और नंगल से जो एग्जिस्टिंग हैड वर्क्स है हरियाणा की कैनाल्ज के अन्दर हमारे हिस्से का फालतू पानी दिया जाता है। सारा पानी भाखड़ा से होकर आ रहा है। नंगल से जो पानी जा रहा है हरियाणा की नहरों के अंदर उसमे अगर उस पानी का हिस्सा बदले का दे दे तो यह लिंक चैनल बनती रहेगी। सतलुज और जमुना का हमे कोई फर्क नही पड़ता और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार को भाायद कुछ गल्तफहमी है जो कि दूर करना चाहता हूं । यह आधा पानी रावी ब्यास का साढे तीन मिनियन एकड़ फीट के साथ कि यह आधा साढ़े तीन मिनियन एकड़द्य फीट तो हरियाणा को मिलेगा ही लेकिन अगर इससे ज्यादा पानी पंजाब के दरियाओं मे बचेगा तो वह हरियाणा का होगा। यह कहना कि एक मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को जा रहा था उससे हरियाणा का हक नही, यह चीज बिल्कुल गल्त है। बिजली का भी हक नही यह

चीज भी बिल्कुल गल्त है और जब हम यह पैसा जंजाब के हवाले कर रहे है तो एक चीज और पूछने का भी हमारा हक है कि रोपड़, नंगल और फिरोजपुर के हैड वर्क्स का फैसला हो गया था, हमने अखबारों मे पढ़ा था कि ये भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड के हवाले कर दिये जायेगे लेकिन अब रोज ब्यान पढ़ते है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के और दूसरे लीडरों के कि इनके ऊपर पंजाब का कब्जा रहेगा। अब यह चीजे परे ाान करती है हरियाणा के लोगों को। अगर इस बातों का जिक्र यहां असैंबली मे न किया जाये, तो कहां किया जायेगा ? क्या बाजार मे जाकर करे ? फिर आप लोग यह कहेंगे कि यह भी ठीक नही कर रहे है । सरकार के साथ तालमेल नही कर रहे है, सहयोग नही दे रहे है। यह दो तीन चीजे थी बाकी अगर सप्लीमैंटरी डिमान्डज है, उन पर बोलने का पहली बार मौका मिला है, पहला मौका मिला है हरियाणा की कोई बात कहने का उसका खातिरख्वाह जवाब हमें चीफ मिनिस्टर की तरफ से या उनके किसी और वजीर की तरु से मिलना चाहिए कि थीन डैम के मामले मे और हैंड वर्क्स के भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड के सुपुर्द करने तथा ज्वाएंट कंट्रोल वगैरह के बारे मे जो फैसला हुआ था उनके बारे मे क्या बातें हो रही है। अब जब तक वे अपोजी ान को कांनफीडेन्स मे नही लेंगे और मुझे तो ऐसा लगता है कि अपोजी ान तो क्या ऐसा नजर आता है कि यह सरकार अपनी पार्टी को भी कांनफिडेन्स मे नही लेना चाहती, डिस्क ान भी यह नही चाहती । तो बात कैसे बनेगी? (व्यवधान) जगननाथ जी मुझे तो इसलिये फिक्र है कि आप भी मेरी पार्टी के है।

(व्यवधान) जगननाथ जी मेरी पार्टी के ही है (व्यवधान) आप यो समझ लीजिए। बात एक ही है। आपसदारी तो यो ही चलती है। सरकार को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक तरफ तो लोग अच्छी नस्त का बुल प्राईवेटली लेते है और फिर सरकार उनसे छीन लेती है। फिर अदालत मे जाना पड़ता है क्या अच्छी नस्ल बनाने की बात पर सरकार सोचती है? क्या सरकार उन अफसरों के खिलाफ ऐक ान भी लेगी जिन्होंने किसी का लाया हुआ नस्लदार बुल छीन लिया । (व्यवधान) यह बात माल ली कि धोखेबाजी की, ऐक ान लेना चाहिए। यह सरकार वैटरनरी कालिज के स्टूडैंड्स के लिये सुविधायें नही दे सकती वेटिनैरीयन की तनखाह सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले हरियाणा मे सब से कम है। सरकार को उनका पे स्केल बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस सरकार का ध्यान उनकी तरफ नही है लेकिन अगर कोई सांड ले आये बाहर से तो उसके छीनने का ध्यान इन अफसरों को जरूर हो जाता है। मैं अर्ज करना चाहात हूं कि जहां ऐसी डिक्रियां हुई है जो अफसरान की ज्यादती की वजह से हुई है, किसी की जमीन छीन ली, किसी को कम्पैनसे ान कम दिया। बीस बीस, तीसतीस हतार रूपया उनको बाद मे अदालतों से मिला और सरकार के खिलाफ डिक्री हुई। जहां इस किस्म की चीजे हुई है वह महकमें के अफसरान के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये कि यह गल्त काम क्यों किया। कम से कम उनको आइन्दा के लिये यह अहसास तो हो कि यह

जनता का राज है। यहां कानून से चलना चाहिए और आइंदा के लिये धोखेबाजी खत्म होगी।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं मांग नम्बर 12 पर बोलना चाहता हूं। इसमे सरकार ने 102725 रूपया और मांगा है। मैं इस सरकार को बधारई देना चाहता हूं कि उसने औद्योगिक प्र ाक्षण केन्द्र मे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वजीफे की रा ि ा दस रूपये से बढ़ाकर 25 रूपये कर दी है। पिछली सरकार दस रूपये देती थी लेकिन हमारी जनता सरकार जिसके पास फाइनैंस की कमी है, उसने यह वजीफे की रा ि ा दस रूपये से बढ़ाकर 25 रूपये कर दी है। यह बहुत अच्छा काम है। इसके अतिरिक्त अगर यह रा ि ा और भी बढ़ा दी जाती है तो यह और भी अच्छा होता। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस रा ि ा को और बढ़ाने का प्रयास करें। उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमांड नंबर ग्यारह है इसमे एक लाख रूपया कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड को देने के लिये निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूं कि इसी तरह की हरयिाणा के अनदर और भी धार्मिक संस्थाएं है और बहुत से बोर्ड बने हुए है। मैं समझता हूं कि अगर यह धार्मिक संस्थाएं स्वयं दान लेकर अपने साधनों से अपना खर्चा पूरा कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर सरकार इतना ज्यादा खर्चा अपने ऊपर लेना स्वीकार कर लेगी तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के ऊपर अनाव यक बोझा होगा। मेरा सरकार को सुझाव है कि इस प्रकार की रा ि ा धार्मिक संस्थाओं को न दी जाये।

इसी तरह मांग नंबर 17 है। इसमे खाद के संबध मे 1 लाख 27 हजार रूपया सरकार ने मांगा है। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह बड़ा सराहनीय काम किया है। सरकार खाद पर जो सबसिडी देने जा रही है इससे गरीब किसानो तथा जो छोटे जोता है उनको राहत मिलेगी। पिछली सरकार ने पहले ही खाद की कीमत काफी चढ़ा रखी थी। जनता सरकार ने खाद पर सबसिडी देकर गरीब तथा छोटे जोता की मदद की है और इस सबसिडी से उनको काफी राहत मिलेगी।

ठाकुर बीर सिंह (भिवानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नंबर 11 और मांग नंबर 12 दोनों पर बोलना चाहता हूं। राव साहब ने पानी के बारे मे काफी कहा है। हरियाणा मे कोई भी ऐसा आदमी नही है जो यह न चाहता हो कि हमारा पानी का हिस्सा मिले और सरकार भी इस काम मे पीछे नही रहेगी। लेकिन मैं राव साहब से पूछना चाहता हूं कि यह पानी की स्कीम 1965 की है और राव साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रहे है। उन्होंने नौ महीने राज किया है। क्या उन्होंने नौ महीने के अर्से मे उस पानी को लाने की चेश्टा की ? जब ये चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने पानी लाने की कोई चेश्टा नही की । अभी तो जनता सरकार को आए हुए सिर्फ तीन महीने ही हुए है (व्यवधान)। अपने दस महीने के टाइम मे जब आप चीफ मिनिस्अर थे तो आपने क्या कदम उठाये थे ? क्या कोई किसी तरह का रावी और ब्यास का पानी लाने के लिये कदम उठाया गया था ? अब जनता सरकार

को केवल तीन महीने आए हुए है जबकि सारी हरियाणा स्टेट मे फ्लड आया हुआ है। लोगों का पेट भरने से सरकार को फुरसत नही है और राव साहब ऐसे टाईम पर बेचैन हो गये है। पानी को प्राप्त करने के लिये कदम उठाये जा रहे है। हरियाणा के लिये जो पानी मुकर्रर हुआ है उस पानी को लेने के लिये चेश्टा की जा रही है। हरियाणा पानी से वंचित नही रह सकता है। हरियाणा को पानी जरूर मिलेगा।

इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मद नंबर 12 जोकि लेबर ऐंड एम्पलायमेंट के बारे मे है कहना चाहता हूं । इसके बारे मे जो कदम सरकार उठाने जा रही है वह एक सराहनीय कदम है लेकिन इस वक्त जो अन एम्पलायमेंट का मसला है वह केवल आई.टी.आईज. के जरिये हल किया जा सकता है। हमारी स्टेट मे काफी आई.टी.आईज. है, कई करोड़ों की म ाीनरी इन आई.टी.आईज. के अंदर लगी हुई है जो कि पूरी तरह से वेस्ट हो रही है। मैं सरका को सुझाव दूंगा कि करोड़ों की म ाीनरी वहां पर पड़ी हुई है जिसका इस्तेमाल आज तक नही हो पाया है, उन्हे वर्क ाप की भाकद दी जाये और उन म ाीनों को प्रोडकटिव परपज के लिये इस्तेमाल किया जाये और ऐसा हल निकालना चाहिये कि जो हमारे ट्रेनीज उन म ाीनों पर काम करते है उन्हें वजीफो के साथ साथ तनख्वाहें दी जा सकें या उन्हें प्रोडक ान के मुताबिक और भत्ता दिया जा सके। 10 या 25 रूपये से ज्यादा फर्क नही पड़ेगा क्योंकि महगांई इतनी है कि 25

रूपये से भी एक विद्यार्थी का काम दो तीन दिन से ज्यादा नही चल सकता। इसलिये जो करोड़ों रूपया वेस्ट हो रहा है उन आई. टी.आईज. की म ाीनौं को वर्क ााप की भाकल दे दी जाये और जितनी भी हमारी म ाीनरी हमारे पास मौजूद है उस म ाीनों को प्रोडक्ा न के लिये इस्तेमाल किया जाये ताकि विद्यार्थियों को वजीफों के साथ साथ रोजी भी मिल सके। वे कमाई भी कर सके और ट्रेनिंग भी ले सकें। इस किस्म की मिसाल हमारे सामने है। भिवानी मे एक टी.आई.टी. है। यह सारी की सारी मिल वर्क ााप है। उसके साथ टी.आई.टी. कालिज भी लगा हुआ है। वहां पर लड़के पढ़ते है। हमल मे चार हजार के लगभग मजदूर भी काम करते है वे ट्रेनिंग लेते है। उन्हें वहां पर ि ाक्षा देने के बाद रोजी भी मिल जाती है। ट्रेनिंग के दरम्यान भी उन्हें पैसे मिलते है। तो अगर इन सारी आई.टी.आईज. को वर्क ााप की भाकल दे दें और जितनी हमारी स्टेट की डिमांडज है, फर्नीचर वगैरह और दूसरी चीजों की ये सारी चीजों की ये सारी चीजें हम अगर उन वर्क ााप के जरिये से बनाये तो इससे रोजी भी मिल सकती है और अन एम्पलाएमेंट का मसला भी काफी हद तक हल हो सकता है। इस पर अगर सरकार गोर करेगी तो मैं भी अनुभव करूंगा और मेरी सरकार भी यह अनुभव करेगी कि हजारों की तादाद मे हरियाणा के अन्दर जो बेकारी, अन एम्पलायमेंट है उन्हें सरकार रोजगार देने के काबिल हो सकेगी। अतः इन मांगों के साथ हमारी सहमति है कि इनको पास कर दिया जाये और जो जो यहां

पर सुझाव दिये गये है उनके बारे मे सरकार से प्रार्थना है कि उन पर अव य ही गोर किया जाये।

चौधरी हरि चंद हूडा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, राव साहब ने अपनी स्पीच मे बोलते हुए पानी का सवाल उठाया है। दरअसल कृशि के लिये पानी जरूरी है, जमीन के लिये आव यक है, वह इसलिये कि जमीन से पैदावार होती है। जमीन से पैदावार होने से इंडस्ट्री पनपती है और इंडस्ट्री जो है वह हमारे अन एम्पलाएमैंट को दूर करती है। क्योंकि पानी का कृशि से ताल्लुक है और कृशि मे किसान आ जाता है, किसान चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, हिन्दोस्तान का हो, वह किसान ही रहना चाहिये और वह किसान ही रहेगा। जहां तक पैसे का सवाल है, हरियाणा सरकार पंजाब को देती है, पंजाब सरकार हरियाणा से लेती है यह एक सैपरेट क्वै चन होता है इन दोनेा को बीच मे नही लाना चाहिये । एकचुअल पोजी ान यह है कि पैसा लेना और देना दोनों किसी काज के लिये है और काज जो है वह किसान के लिये है अगर दोनो एक जगह इकट्ठे कर दिये जाएं तो एक्सपलाएटे ान आ जाती है। तो मैं यह कहूंगा कि जो पैसा दिया जा रहा है वह पानी के लिये ही दिया जा रहा है। क्योंकि यह बात ठीक है कि बगैर पानी के खेती नही हो सकती, बगैर खेती के इंडस्ट्री नही पनप सकती और बगैर इंडस्ट्री के अन इम्पलायमेंट दूर नही हो सकती । जहां तक किसानों का ताल्लुक है उसको हम कंसिडर करते है कि किसान चाहे हरियाणा का हो,

पंजाब का हो, या हिन्दोस्तान का हो, वह एक किसान है, उस किसान को एक्सपलायअ न किया जाये। धन्यवाद ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मद संख्या 17 के बारे मे बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी केंद्रीय जनता सरकार ने एक बात कही थी कि यह सरकार देहातों के उत्थान के लिये ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगी क्योंकि इस दे ा के अन्दर ज्यादा से ज्यादा लोग देहातों मे रहते है और यह कृशि प्रधान दे ा है। दे ा का स्तर और भविश्य तभी उज्जवल हो सकता है जबकि देहातों का भविश्य उज्जवल और उनका स्तर ऊंचा होगा। इस मे जो खाद की बात कही गई है यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि यहां की जमीन की उत्पादन क्षमता इतनी कम हो चुकी है कि उसके अन्दर जो पहले उत्पादन होता था उसकी बजाये आज इतना कम उत्पादन होता है जिसको हम नाम मात्र का उत्पादन कहें तो कोई गलत बात नही होगी। इस दे ा के अन्दर, हरियाणा प्रदे ा के अन्दर जो परम्परा गोबर खाद इस्तेमाल करने की है वह हमारे प्रदे ा के अनदर इतनी कम हो चुकी है और गोबर खाद हमें अधिक मात्रा मे मुहैया नही हो रही है जिसके कारण यहां की जमीन का उत्पाद भी कम हो गया है। इसलिये फर्टीलाइजर का मसला उत्पादन को बढ़ाने के लिये निहायत ही जरूरी है। मैं तो यह कहता हूं कि यह जो मद के अंदर प्रोवीजन 1 करोड़ 27 लाख रूपये का रखा गया है, यह रा ि ा बहुत थोड़ी है, इससे ज्यादा रा ि ा होनी चाहिये थी

क्योंकि आज किसान इस बात से बहुत पीड़ित है, उसे अच्छी खाद नही मिल रही है। यहां पर इस हालत मे यह उम्मीद नही की जा सकती कि उनकी जमीन पैदावार के लायक हो सके। अगर किसानों को जमीन के लिये खाद की समस्या बनी रहेगी तो उनका उत्पाद न बहुत कम होगा। मैं समझता हूं कि हाउस को अपनी पूरी इत्तुाक राय ये इस मांग को पास करना चाहिये । इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी गंगा राम (गोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नंबर 17 पर अपने कुछ विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सारे दे ा का ही नही, खासकर मैं हरियाणा के बारे मे यह कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा का किसान बहुत बुरी तरह से बरबाद हो चुका है क्योंकि फ्लड ने सारे हरियाणा मे काफी बरबादी की हैं इस सिलसिले मे मैं तो हरियाणा के एक एक गांव के अन्दर फिरा हूं। मैंने तो किसानों की हालत ऐसी देखी है कि उसके पास खने के लिये दो टाइम की रोटी के लिये अनाज नही हैं वह अपने खाने के लिये अनाज भी मुहैया नही कर सकता। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सरकार ने 1 करोड़ 27 लाख रूपये की सबसिडी जो दी है वह बहुत थोड़ी है बल्कि इसके लिये किसानों को 5–6 करोड़ की की सबसिडी देनी चाहिए। खाद के बारे मे सीडज के बारे मे, ट्रेक्टर्ज के बारे मे किसानों को सहायता देनी चाहिये। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि बिरला, टाटा और

डालमिया तो सामान अपने कारखानों मे पैदा करते है वह जब जर्मनी के बाजारो मे बेचा जाता है। यदि उसकी कीमत घट जाती है तो सरकार उएन्हें कम्पनसेट करती है। मिसाल के तौर पर अगर बिरला की कास्ट आफ प्रोडक ान एण्क आईटम पर 250 रूपये आती है और जर्मनी के बाजार मे वह आईटम 150 रूपये मे बिकती है तो 100 रूपये का घाटा जो ै वह सरकार उठाती है। तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि उसी प्रकार से किसानों को भी खाद, ट्रैक्टर और बलज नो प्रोफिट नो लौस बेसिज पर मिना चाहिए ताकि किसान अपनी जमीन से उत्पादन ज्यादा बढ़ा सके। आज मैं यह देख कर हैरान हूं कि बिरला टाटाओं के कारखानों के अन्दर एक ट्रैक्टर जो 13 हजार मे तैयार होता है वह हमारे किसान दोस्तों को 52 हजार मे दिया जाता है। इसी तरह से एक खाद का कट्टा जो 11 रूपये मे तैयार होता है वही किसान को 52 रूपये मे दिया जाता है। तो इससे बड़ी खिलवाड़ किसान के साथ और क्या हो सकती है ? इसलियें मैं यह कहूंग कि आज अगर हरियाणा के अन्दर कोई दुखी है तो वह सब से ज्यादा दुखी अनाज पैदा करने वाला किसान है। अगर सरकार 250 यपये का बीज किसान को 235 रूपये मे सबसिडाइज करके देती है तो इससे किसान को कोई सहारा नही मिलने वाला है। यह तो केवल उसके आंसू पूंछने वाली बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर मार्किट के बीज का भाव 250 रूपये क्विंटल है तो किसान को कम से कम 50 प्रति ात सबसिडी देकर वह बीज दिया जाना चाहिए। अगर सरकार यह चाहती है कि हरियाणा आगे बढ़े,

हरियाणा की उन्नति हो तो आज हमें हैवी इंडस्टरी की तरफ इनवैस्टमैंअ करने की कोई जरूरत नही है। आज हमें भाहरो की डिवैल्पमैंट करने की कोई जरूरत नही है बल्कि किसानों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेसा लगाया जाना चाहिये और उसको ज्यादा से ज्यादा राहत दी जानी चाहिये। इसके अलावा मैं मांग नं. 12 के बारे मे भी एक बात कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा के नौजवान पढ़ लिखकर भी दर दर की ठोकरे खा रहे है। पता नही कर्जा लेकन या किस तरह से वे पढ़ कर आते है लेकिन जिस समय जनता सरकार ने अपना मैनिफैस्टो रखा था तो उसमे यह रखा गया था कि पढ़े लिखे नौजवानो को नौकरी मिलेगी। तो आज मैं जनता सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके संविधान के अंदर जो यह रखा गया था कि पढ़ लिखे नौजवानो को नौकरी का अधिकर मिलेगा, वह अधिकार उनको दिया जाये। अगर सरकार उनको नौकरी नही दे सकती तो सरकार उन्हे कंप्नवेट करे, उन्हें उनकी पढ़ाई का खर्चा दे। तो मै ंबहुत जयादान कहते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस समय बीजाई का समय आशाढी की बीजाई की जायेगी। मैं हैरान होता हूं कि एक तरफ तो हमारी सरकार ने फ्लड के वक्त यह एलान किया था कि किसान से उगाही नही की जायेगी लेकिन आज जो गांव फ्लड के वक्त बुरी तरह से तबाह हुए है उनके पास उगाही के लिये पर्चियां जा रही है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर उसने उगाही ससपैंड की दी है तो यह आर्डर जल्द से जल्द वहां भिजवा दे क्योंकि आज भी वहां वसूली होने लग रही है। इसके अलावा अब किसान बीज

खरीदने लग गया है, फर्टिलाइजर खरीदने लग गया है और ट्रैक्टर चलाने लग गया है लेकिन बीज और खाद पर सबसिडी के नाम पर किसान के पास कोई आर्डर नही पहुंचा है। उसे वही मार्किट प्राईस पर बीज दिया जा रहा है। इसलिये मै प्रार्थन करूंगा कि इन बातो को जल्द से जल्द इम्पलीमेंट किया जाये।

श्रीमती भान्ती देवी (कलियाना): उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी गंगा राम जी ने हरियाणा के किसान के बारे मे जो विचार रखे है उनसे मे भी सहमत हूं। इसमे कोई दो राय नही है कि आज अगर वास्तव मे कोई दूखी है तो वह किसान है। अगर मैं यह कह दूं कि सर छोटू राम के बाद किसी ने किसान को नही संभाला तो इसको स्वीकर करने से कोई इंकार नही करेंगा। आज कहने को तो वे जमींदार है लेकिन आज वे केवल एक या दो किल्ले के ही मालिक है। आप देखेंगे कि हरियाणा के अन्दर एक आध ही ऐसा जमींदार मिलेगा जिसके पास सौ बीघे जमीन हो। आज तो जमींदारों की सम्पति एक दो किल्लों के अन्दर ही रह गई है। आज का किसान तो दूसरों की जमीन बोकर अपना गुजारा कराा है और फिर इसे बेचारे के साथ पटवारी धोखा करते है। उसको असल मे पानी तो दो बीघे मे दिया जाता है लेकिन खिल दिये जाते है दो किल्ले। इसी तरह से न तो उसको समय पर खाद मिलती है और न ही बीज मिलता है। सरकार को चाहिये कि वह जितनी अधिक से अधिक सुविधा किसान को दे सके दे। दूसर बात बेरोजगारी की है। बड़ी कठिनाई से किसान अपने बच्चों

को पढ़ाता है। कोई लड़का मैट्रिक कर जाता है, कोई बी.ए. कर जाता है और कोई एम.ए. कर जाता है लेकिन उनको नौकरी नही मिलती और वे गलियों मे ठोकरे खाते रहते है। चुनाव के सयम जनता पार्टी ने एक आ वासन दिया था कि बेरोजगारी का मसला हल किया जायेगा लेकिन मैं समझती हूं कि अभी तक इस ओर कोई प्रोग्रैस नही हुई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि बेरोजगार आदमियो के लिये वह कोई अच्छे कदम उठाये। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भाुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपकी मार्फत किसान की तकलीफों के बारे मे कुछ अर्ज करना चाहता हूं । इसमे कोई भाक नही है कि पिछली सरकार ने इस खजाने पर झाड़ू फेर दिया है जिसकी वजह से अरबो रूपये हमें सूद के देने पड़ रहे हैं इस सरकार को दो दो फ्लडों का सामना करना पड़ रहा है एक तो कांग्रेस सरकार ने फ्लड चलाया और दूसरा अब पानी का फ्लड आया । इसमे कोई भाक नही है कि इस सरकार के पास इस वक्त पैसा नही है, सरकार बहुत परे ाान है। इसमे सरकार के बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ईमानदार सरकार है और गरीब जमींदारों की सरकार है। ऐसी सकरार हरियाणा मे आज तक नही आई जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि जितने भी चीफ मिनिस्टर हरियाणा मे आये सब के ऊपर करप्ान के इलजाम लगे । हमारे चौधरी देवी लाल ने

हर सरकार से टक्कर ली और इनके ऊपर आज तक क्रप् ान का कोई इलजाम नही लग सका है। अगर इनके खिलाफ कोई चार्ज हो तो वह हाउस मे बताया जाना चाहिये क्योंकि यहां हर बात सच्चाई की आनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि अब जमींदारो की तरफ से जो आपको मिले वह पहले जमींदारो पर और पीने के पानी पर खर्च होना चाहियें पहले वाली कांग्रेस सरकार क्या करती थी कि जो खाद जमींदारों को देती थी वह खाद नही होती थी बल्कि मिट्टी होती थी और जमींदारों से मिट्टी के पैसे वसूल किये जाते थे। दूसरी बात यह है कि खाद के बारे मे किसी के ऊपर जब्रदस्ती नही होनी चाहिए। जो खाद लेना चाहे उसी को दी जाये। यह नही होनी चाहिये कि हर एक को जब्रदस्ती खाद दे दी जायें आप गांवों मे जाकर देखे जो कर्मचारी वहां खाद देने के लिये जाते है किसानों को कहते है कि इतने पैसे की लाजमी खाद लेनी पड़गी। तो यह जब्रदस्ती नही होनी चाहिये। इसके बाद मैं सीमेंट पर आता हूं । कालका का एक कांग्रेस एम.एल.ए. था उसी के पास सीमेंट के कारखाने का ठेका और उसी के ट्रक वह जिसे चाहे सीमेंट दे और जिसे चाहे सीमेंट की जगह रेत दे। वह सिर्फ अपने आदमियों को ही सीमेंट देता है। तो बगैर सीमेंट के भी किसान को बहुत तकलीफ है क्योंकि किसान के टयूबवैल्ज की जो नालियां है वह भी सीमेंट से बनती है। इस नालियों के न बनने की वजह से आपकी कार्पोरे ान के जो टयूबवैल्ज है वे बेार पड़े हुए है। इसलिये सीमेंट की बहुत जरूरत है और सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए। यहां पर पानी का प्रबंधऐसा काम

नही है जो एकदम हो जाये। जो पानी आता है वह फ्लड का आता है, मैं तो सिंचाइ के पानी की बात कह रहा हूं। सिंचाई का पानी हमारे अम्बाला के इलाके मे बहुत कम है। ताजेवाला से नहर बन गई और उसका पानी उधर चला गया। यह कांग्रेस वालो की बात है जिन्होंने पानी हमारे इलाके से लिया और सिंचाई किसी और जगह कर रहे है। पानी हमारे इलाके से निकलता है देते दूसरो को है, यह कांग्रेस वालो की मेहरबारी है। पहले पानी हमें मिलना चाहिए ओर बचे वह उन को मिले। सरकार टयूबवैल लगा रही है लेकिन जमींदारो को सीमेंट मिलता नही और नालियां बनती नही। जहां सरकार इतना खर्चा कर रही है वहां नालियां बनाने के लिये सरकार अपने कर्मचारियों को हिदायत करे कि नालियां बनाई जाये। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार पहले जब गवर्नर का राज था, उस वक्त नारायणगढ़ के लिये 600 टयूबवैल मंजूर करवाए थे। लेकिन वे सारे के सारे नारायणगढ़ की बजाये भिवानी मे लग गये । (व्यवधान)

एक सदस्यः एक ही कांग्रेसी रह गया है.....(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंहः जो माल खा गये है मैं उने बारे मे बात कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि जमींदार हमारी जिन्दगी है। अगर जमींदार अनाज पैदा नही करता तो हम खायेंगे कहां से। बड़े से बड़ा आफिसर भी अनाज खाये बगेर नही रहा सकता, कोई काम नही कर सकता, इसलिये जमींदार को पानी मिलना चाहिए। यह ठीक है कि जनता सरकार ने बिजली मे थोड़ी सी बढ़ौतरी की

है। पानी खाद और बिजली ये तीनो चीजें जमींदार के लिये बहुत जरूरी है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी जमींदार है, इसलिये मुझे इस पर बोलने के लिये ज्यादा समय दिया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठ जाईए। अब श्री जगजीत सिंह पोहलू बोलेंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, आजकल हरियाणा मे सबसे ज्यादा जो फ्लड का है। इस मुसीबत को दूर करने के लिये इमिजिएिट अरेन्जमैंट होनी चाहिये। जो फसल तबाह हो चुकी है औरजिन जमीदारों की 50 फीसदी फसल तबाह हो चुकी है उनका लैंड रैवन्यू फौरन मुआफ किया जाये। इतना पानी खड़ा हुआ कि बहुत से खेत बिजाई के काबिल हनी है, खेतों मे पानी भरा पड़ा है....

श्री उपाध्यक्षः आप डिमांड नंबर दे कि किस डिमांड पर बोल रहे है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः मैं ऐग्रीकल्चर पर बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा रूपया ऐग्रीकल्चर के ऊपर खर्च करना है और चीफ मिनिस्टर साहब मान गये है कि .....(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंहूः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अगर आपने मुझे समय दिया है तो मुझे कुछ कहने तो दीजिये। मैंने नौकरियों के बारे मे कुछ नही कहा है, आप मुझे टाईम दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आपन बहुत कुछ बोल चुके है।(व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः मैं कह रहा था कि सब से ज्यादा प्रायरिटी ऐग्रीकल्चर के लिये दी जाये। इसके साथ ही साथ जनरल ऐडिमिनिस्ट्रे ान की बात आई है। इस पर जो पैसा होता है वह ठीक ढंग से हो और सरकार से मै प्रार्थना करूंगा कि ऐडमिनिस्ट्रे ान को अच्छे तरीके से चलाए।

एक सदस्यः ऐडमिनिस्ट्रे ान की तो कोइ डिमांड ही नही है (व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः सरकार कहती है कि पानी का प्रबंध होगा, कुरप ान बंद होगी लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अब भी हरियाणा मे कुरप ान बहुत ज्यादा है क्योंकि एम.एल. ए. बनने के बाद दो महीनो के अन्दर कई एम.एल.एज. ने कारें खरीद ली है। इसलिये मै आपसे प्रार्थना करूंगा कि कुरप ान को रोका जाये । जो होम डिपार्टमैंट है, इसलिए वर्किंग भी ठीक नही है। भिवानी मे 6 महीने के अन्दर 6 एस.पी. बदल चुके है। ..... (व्यवधान)

कंवर राम पाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपकी रूलिंग चाहता हू। जो चार्जड डिमांडज है, क्या उन पर भी यहां डिसक ान हो सकती है ? अगर ये चार्जड डिमांडज पर बोलेंगे जो यहा सभी मैंबरों को इजाजत होनी चाहिए बोलने की।

श्री उपाध्यक्षः चार्जड डिमांडज पर सिक ान तो हो सकती है लेकिन वोटिंग नही हो सकती।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर बहुत बड़ी ओमि ान हुई है क्योंकि यहां पर हरियाणा की कैपिटल के बारे मे कोई जिक्र नही आया। चण्डीगढ़ हरियाणा मै है.....

Mr.Deputy Speaker: I wil linvite the attention of the hon. Member to rule 201, which reads—

"The debated on the supplementary grants shall not be contined to the items conctituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the partticular items under discussion."

Chaudhri Jagjit Sing Pohloo: Alright, Sir. ऐस्टीमेट्स को पास करवाने का मतलब यह है कि हरियाणा की हालत को सुधारा जाये। जनता पार्टी ने अपने मैनिफैस्टी मे कहा था कि कम से कम खर्च करेंगे लेकिन हमारे मिनिस्टर तीन तीन हजार के किराए की कोठियों मे रहते है। जहां ये कहते है कि लोगों को कि खर्च कम करों वहां इनको अपना खर्चा मि करना चाहिए। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारी लेबर की जो हालत है, मजदूरों की जो हालत है, वह बहुत बुरी है, हर मजदूरों मे अनरैस्ट है।

Mr. Deputy Speaker: Aain you are going off the demands under dicussion.

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): इस मे तो ग्रांट की बात है, लेबर की बात कहां है जिस पर आप बोलने लगे है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मैं आप के द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा कि प्रदे ा मे बेरोजगारी की बड़ी भारी समस्या है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाये। नौकरी के लिये हमारे नौजवान रि वत देते फिरते है ? इनको नौकरियां नही मिलती और बी.ए. पास लड़के सड़क पर मेट लग जाते है। जनता पार्टी का जो मैनीफैस्टों था उसमे यह था कि बेरोजगार लोगो को रोजगार दिया जायेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह: यह आपका था या हमारा ? (व्यवधान)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मैं सबसे पहले जनता पार्टी की बात करूंगा । अगर आप उन को रोजगार नही दे सकते तो कम से कम रोजगार भत्ता ही दे दीजिये ताकि वे रि वत देने से बच सके। बी.ए., एम.ए. पास करने के बाद वे धक्के खते फिरते है, इनको बेरोजगार भत्ता जरूर देना चाहिए। जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रे ान का ताल्लुक है, आप रोहतक की मिसाल ले लें। कितनी बुरी हालत है, लोगो को लूटा गया, दुकाने तोड़ी गई। जनरल ऐडमिनिस्ट्रे ान ठीक हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। बस मै। इतना ही कहकर अपना स्थान लेता हूं।

श्री लहरी सिंह महरा (रादौर अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, ये जो अनूपूरक मांगे है इनके द्वारा जमींदारों की ज्यादा से ज्यादा हैल्प की जानी चाहिए। इनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा उनकी हालत सुधारने पर लगाया जाना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जैसे सरकार ने अभी पिछले दिनो बिजली के संकट को दूर करने के लिये बड़ी सूझबूझ से काम लिया और चीफ इंजिनियर, एस.ई. और फील्ड स्टाफ तथा ऐग्जैक्टिव इंजीनियर आदि की ड्यूटी दिन रात काम करने की लगाई उसी तरह हर क्षेत्र मे काम किया जाये। हरियाणा मे जहां बाढ़ आई हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए, जहां पर पानी की कमी है उस पानी की कमी को दूर करने के लिये दिन रात बिजली वालों ने काम किया। इस बात के लिये मैं सरकार का भाुक्रगुजार हूं। अब मेरी सरकार से थोड़ी सी अर्ज है। मेरे हल्के से पि चमी यमुना नहर निकलती है। उसके साथ साथ जो पानी सेम का इकट्ठा हुआ है उसमे खड़ी जीरी की फसल बेकार होने जा रही है। मै सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जमींदारों को नुकसान से बचाने के लिये वहां पर ज्यादा पैसा खर्च करें ताकि उस फसल को बचाया जा सके। यह मेरे हल्के की ही बात नही है। उसमे कई हल्के आते है और करोड़ों रूपयों की फसल बरबाद होने जा रही है।

इसके बाद, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार इन जमींदारों को उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहती है तो सबसे पहले जमींदारो की जिन्स

जो गांव मे ही पड़ी रहती है, उसको मंडी तक लाने के लिये सड़कों का इंतजाम करना पड़ेगां इस समय काफी गांव ऐसे है, जैसे कि मेरे हल्के के गांव है जहां इस दि ाा मे आज तक कोई काम नही हुआ। क्योंकि वह आदरणीय चौधरी चांद राम जी का हल्का था और इस वजह से चौधरी बंसी लाल जी की खास मेहरबानी उस हल्कें पर थी। लेकिन मैं आज जो मिनिस्टर साहेबार है उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उसमे जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, उसमे से जिन्स मंडी में ज्यादा जल्दी पहुंचाई जाये।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के मे किसानो को एक और कठिनाई है। वहां एक मिल मालिक है। उस मिल मालिक ने अपनी मनमानी कर रखी है। वह जमींदारों को उनके गन्ने का ठीक रेट नही देता।

श्री उपाध्यक्षः लहरी सिंह जी आप डिमांडज पर बोलें।

श्री लहरी सिंह महराः डिमांडज पर ही बोल रहा हूं जी।

श्री उपाध्यक्षः डिमांडज तो 11, 12, और 17 नंबर की डिस्कस हो रही है।

श्री लहरी सिंह महराः तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जमींदारो को गन्ने का ठीक रेट देने के लिये, कीमत ठीक लगावाने के लिये गवर्नमैंट को चाहिए कि वह मिल मालिकों की

मर्जी न चलने दे। मैं तो सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वहां एक मिल और लगाई जाये। लाडवा, रादौर या भाहबाद मे अगर गए और मिल लग जाती है तो जमींदारों की पूछ हो जायेगी वरना वे जमींदारों का गन्ना मनमाने ढंग से खरीद रहे है। वह मिट्टी के भाव जा रहा है।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से प्राथना करूंगा कि इस सीजन की दो फसले है जीरी और गन्ना उसके लिये यह ज्यादा से ज्यादा पैसा मंजूर करने की कृपा करें और ज्यादा से ज्यादा पैसा जमींदारों को फायदा पहुंचाने मे लगाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, कोआप्रटिव सोसायटिज से जो पैसा मिलता है उसका ठीक तरीके से नही दिया जाता। काफी जमींदार ऐसे है जिनको खाद नही चाहिए लेकिन वे पैसे को और तरीके से अपने काम मे लगाना चाहते है। खाद भी ऐसी दी जाती है जो उस जमीन मे उस समय नही डाली जा सकती थी कि संबंधित जमींदार की है। इस वास्ते मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर खाद दी जाये तो वही खाद दी जाये जो उस समय मे उस फसल मे पड़ती हो और उतने पैसे की दी जोय जितने की किसान चाहता हो। खाद को अधिक मात्रा मे देना अच्छी बात नही है। वह तो मिट्टी की तरह पड़ी रहती है और किसान कर्जदार बना जाता है। इस तरफ सरकार को वि ोश ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, काफी ऐसे दो दो चार चार एकड़ के जमींदार है जिनकी फसल बाढ़ मे बिल्कुल खत्म हो गई है। मेरा ख्याल हे कि इस बारे मे मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि उन जमींनो को जोतने के लिये 250 ट्रैक्टर्ज भेजे है जिनका तेल खर्च सरकार देगी। इस बारे मे भी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो छोटे छोटे जमींदार है उनकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए उनका निर्वाह इसी थोड़ी सी जमीन पर ही होता है बड़े जमींदारों के तो और भी कई साधन होते है अपना काम चलाने के लिये।

एक छोटी सी बात और उपाध्यक्ष महोदय मैं अर्ज करना चाहता हूं। जहां गन्ने की का तकारी है उस इलाके मे गवर्नमैंट को कृशि विभाग की तरफ से लोगों को लोन देना चाहिए और उन्हें अपने क्रै ार लगाने की इजाजत दे देनी चाहिए ताकि वे खांडसारी और सल्फर आदि है। इन भाब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिये मैं आपका भाुक्रिया अदा करता हूं।

सरदार सुखदेव सिंह (रोड़ी): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये हाउस से, जनता पार्टी की सरकार से आइटम नं. 11 के बारे मे इतना ही कहूंगा कि मैं कुरूक्षेत्र का दिल से आदर करता हूं लेकिन इसके साथ ही मेरा कुछ फर्ज भी है। मेरी यह बात स्वामी आदित्यवे ा जी की बात से संबधित हैं इस सम्बंध मे मैं याह कहना चाहूंगा कि अगर हमारी सरकार विकास बोर्ड को या

ऐसी धार्मिक संस्थाओं को पैसा देने लगे तो यह बर्डन बहुत बढ़ जायेगा। आप इस बारे मे सोचें, मेरी यह अपील है।

डिमांड नं. 12 के तहत, डिप्टी स्पीकर साहब, 19 लाख रूपये आई.टी.आई. मे ट्रेनिंग के लिये स्टाइपन्ड देने के लिये हमारी सरकार चाहती है। मैं इसका समर्थन करता हूं। इस संबंध मे मैं सुझाव भी अपनी सरकार को देना चाहता हूं। आई.टी.आई. का ढांचा मैं तो समझता हूं काफी पुराना है। जब से यह सैट उप भाुरू हुआ है तब से इसमे कोई भी वैज्ञानिक ढंग से तरमीम करने का विचार हमारी पिछली सरकार के दिमाग मे नही आया होगा। यह लाईन बहुत बढ़िया है। इससे दे ा का कल्याण होना है। ि ाल्पी यही से पैदा होते है। (विघ्न) इस ट्रैनिंग का असर हमारी आने वाली जनरे ान पर पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इस वैज्ञानिक युग मे नई नई इनवैन्- ांज हो रही है और नए ढंग के कारखाने आदि लग रहे है। उनमे पुराने ढंग की ट्रेनिंग ठीक नही बैठती । इसलिये मैं अपनी जनता पार्टी की सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी ट्रेनिंग भाुरू की जाये जो साइटिफिक ढंग की हो। मैं तो यह कहूंगा कि इसमे नए नए किस्म के औजार मंगवा कर नई किस्म की ट्रेनिंग भाुरू की जाये ताकि हमारे प्रदे ा और दे ा के बच्चे, नौजवान इस ट्रेनिंग से फायदा उठा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं. 17 मेरा अपना मजबूत है। मैं एक ऐग्रीकल्चरिस्ट हूं। इसमे यह जो पैसा मांगा गया है इसको मै थोड़ा समझता हूं लेकिन मैं गवर्नमैंट का धन्यवाद भी

करता हूं कि इसने खाद के ऊपर किसानों फो किसानों को सबसिडी दी है। उसमे मै कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । माननीय सदस्य इस बात की खिल्ली न उड़ाये। मेरा यह ख्याल है कि हमारा जो गोबर है इसके बारे मे चाहे आप किसी ऐग्रीकल्चरिस्ट से पूछ ले, किसी सियाने पुराने बुजुर्ग से पूछ ले, घर मे पूछ ले या बाहर पूछ ले या इस हाउस मे पूछ ले कि गोबर जैसी कीमती खाद, साइंटिफिक तरीके से आत तक नही बन सकी है जो खेती के लिये इतनी कारगार और सही ढंग की हो। हम रोहतक के इलाके मे दखते है कि बड़े बड़े बिटौड़े गोधर के लगे हुए होते है, मेरे हल्के मे तो नी है लेकिन उस तरफ को बहुत ज्यादा है। इतने बड़े बड़े बिटौड़े है जितने बड़े मेरे हल्के मे मकान है। पंजाबी मे इन बिटौड़ो को गोहरे कहते है। (विघ्न) मैं हुक्के के खिलाफ नही बोल रहा हूं। आप हुक्के को किसी और चीज से भी पी सकते है। क्या गोबर को जलाना जरूरी है ? अगर आप गोबर को जलाते रहेंगे तो आने वाली सांइटिफिक पीढिया, आने वाले पढ़े लिखे लोग हरियाणा को इस बात के लिये माफ नही करेंगे क्योंकि इससे हमने दे ा का बहुत नुकसान किया है। गोबर जलाने पर पाबन्दी होनी चाहिए। मै तो यह कहूंगा कि इस बात के लिये एक कमेटी बैठायी जाये जो इस बात का फैसला करें कि गोबर जलाना दे ा के हित मे या अहित मे हे। मैं आपसे हाउस के सामने भ्रारू मे ही अर्ज कर चुका हूं कि यह बात हंसी मे उड़ाने की नही है। मेरा नम्र निवेदन है कि हम सभी पार्टी के लोगों को बताया जाना चाहिए कि गोबर कितना कीमती है। हमें

खाद के लिये फौरन करन्सी जाया करनी पड़ती है। हम गोबर को सम्भाल कर, गोबर का सही ढंग से प्रयोग करके इस करन्सी को बचा सकते है। गोबर गैस प्लांटस तो पिछली सरकार ने बहुत लगाये थे परन्तु उनका कोई लाभ नही हुआ। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विशय मे रिसर्च की जाये, लोगो को एजूकेट किया जाये कि गोबर को कैसे सम्भालना है। गोबर गैस प्लांटस के लिये ज्यादातर कांग्रेस के अपने आदमियो को चार चार हजार रूपया दिया गया। अब वे इन्क्वायरी मे फसे पड़े है। यदि उनसे रिकवरी की जाती है तो वे कहते है कि हमारे साथ विकटेमाइजे ान होती है। मुझे पता है कि बैंक वाले उनके पीछे पीछे फिरते है। गोबर गैस प्लान्ट मे से गैस तो निकल गई वह तो केवल प्लान्ट ही प्लान्ट रह गया। तो मै आपसे दुबारा निवेदन करूंगा कि फर्टेलाईजर को सम्भालने के लिये किसानों को एजुकेट किया जाये। मैं इन भाब्दों के साथ इन डिमांडज का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया।

श्री भले राम (बडौदा अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान की 80 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है। हिन्दुस्तान की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वह खेती पर आधारित है। अगर खेती किसी साल फेल हो जाये तो हमारे कारखाने जो खेती के साथ जुडे हुए है सब के सब फेल हो जायेंगे। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि खेती करने वाले किसान

की और वि ाश रूप ये ध्यान दिया जाये। मुझे आज इस बात की खु ाी है कि हमारी जनता सरकार किसानों को खेती मे खाद डालने के लिये सहायता दे रही है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। आपको पता है आजकल के हालात को देखते हुए, बाढ़ की हालत को देखते हुए किसान आज बरबाद हो रहा है। उसके पास दूसरा कोई भी साधन नही है। तो मैं अर्ज करूंगा कि जो बाढ़ के इलाके है, जहां पर अभी बिजाई भी देर से होनी है, वहां के लिये खाद की सहायता दूसरे इलाकों के मुकाबले मे अधिक दी जाये।

दूसरी बेरोगारी की समस्या हैं इसमे कोई संदेह नही है कि हिन्दुस्तान मे पांच करोड़ व्यक्ति बेकार घूम रहे है। इसमे कोई दो राय नही है कि यह समस्या बहुत गम्भीर है लेकिन हमारा संबंध हरियाणा से है। मुझे इस बात की खु ाी है कि इस समस्या का समाधान करने के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने यहां कहा है कि हरियाणा सरकार इस प्रकार के धंधे अपानाने जा रही है कि गांव के अन्दर छोटे उद्योग लगा कर बेकारी की समस्या को दूर किया जाये। छोटी छोटी कम्पनियां बना कर पढ़े लिखे युवकों की बेकारी की समस्या का समाधान करें। सरकार ने सबसिडी का प्रोविजन भी रखा है। मै अधिक समय तक आपके बीच मे न रह कर इन डिमांडस का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी ई वर सिंह (गुहला अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान डिमांड नं. 12 की

ओर आकर्शित करना चाहता हूं । आजकल हमारी सरकार श्रम की ओर अधिक ध्यान दे रही है। परन्तु मैं पिछली सरकार के विशय मे यह बताना चाहता हूं कि सन् 1975 मे जो आई.टी.सी. की स्कीम थी वह बन्द कर दी गई थी। उस स्कीम के तहत हरिजनों को जूते बनाने का और सिखलाने का काम चलता था। अब यह सकीम बंद कर दी गई है। अगर सरकार दर्जी की, बढ़ई की या दूसरी जो ट्रेनिंग है उनको भी बंद कर दे तब तो ठीक है लेकिन स्पै ाली इस स्कीम को क्यो बंद किया गया है ? सन् 1975 के अंदर जूते बनाने वाले सब बेरोजगार हो गये है जिसके कारण हरिजनों को काफी नुकसान हुआ है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन लोगों को कोई न कोई रोजगार दिलाया जाये। उन लौगों को उस स्कीम के तहत ज्यादा लोन या ग्रांट मिलती थी। इसलिये इसको दोबारा लागू किया जाये।

जहां तक बेरोजगारी की समस्या का मामला है, यह मेरे अपने इलाके मे बड़ी गम्भीर है। मेरा अना इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है खासकर गुहला तहसील जो कि बार्डर के साथ लगती हुई है। उनको रोजगार दिलाने की और कोई वि ोश ध्यान नही दिया जा रहा है। उस क्षेत्र मे कोई भी नजदीक से रोजगार कार्याय नही है। वहां पर ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज खोला जाना चाहिये।

दूसरे मेरे इलाके मे ि ाक्षा की ओर भी कोई ध्यान नही दिया जा रहा ह। मेरे यहां पर स्कूल भी बहुत कम है। 130 गांव मे केवल 8 मिडल स्कूल है। अगर वे थोड़ा बहुत पढ़ भी ले,

तो नाम दर्ज कराने के लिये कोई नजदीक ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज नही है जिससे वे अपना रोजगार ले सके । अगर कुरूक्षेत्र जाये तो वह बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। इसलिये वहां पर ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज का प्रबंध करना और भी जरूरी है।

अब मैं आपके द्वारा डिमांड नंबर 17 की और सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं। मेरा अपना इलाका नहर के संबंध मे बिल्कुल टेल पर लगता है। वहां बार्डर के नजदीक पानी बिल्कुल पहुंचता ही नही है। यदि पहंचता है तो सीजन खत्म होने के प चात पहंचता है। इसलिये इस पानी के विशय मे ठीक प्रकार से प्रंबध किया जाये। उस पानी को इतना रैगुलर किया जाये कि बीच मे जो कट होते है उनको बंद किया जाये और कट करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। सिंचाई के सीजन के अंदर कभी कट नही होना चाहिए। अगर कोई कट करना है तो उस पर या तो जुर्माना होना चाहिए या उसको सजा मिलनी चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि कुछ चार पांच गांव जो हरियाणा और पंजाब के साथ साथ लगते है वहां पर अभी तक पानी का बंटवारा ठीक प्रकार से नही हुआ है। वह मामला काफी दिनों से पंडिंग पड़ा हुआ है। 1970 से पैडिंग चला आ रहा है। इसलिये इस पानी का जल्दी से जल्दी फैसला कराया जाये। मैं ज्यादा कुछ न कहते हए अपना स्थान लेता हूं।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मांग संख्या 12 और 17 के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मांग संख्या 17 के अन्तर्गत हमारी सरकार ने बड़ी उदारता के साथ पोटै ि ाक और फास्फैटिक उर्वरक पर 10 और 20 फीसदी की कटौती करने का निर्णय किया है। मैं अपनी सरकार की भावना का पूरी तरह आदर करता हूं क्योंकि उन्होंने गरीब किसानो को राहत पहुंचा कर बड़ा कारगर कदम उठाया है। इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी निवेदन करना है। यदि हम अपने दे ा में फास्फैटिक और पोटै ि ाक कैमिकल उर्वरक को बढ़ावा देते रहेंगे और इसके इस्तेमाल के लिए लोगों को उत्साहित करते रहेंगे तो हम कभी भी यहां गोबर आदि से बनी ग्रीन कम्पोस्ट के लिए लोगों को उत्साहित नहीं कर सकेंगे। सरकार को इस ओर वि ोश रूप से ध्यान देना चाहिए। जनता पार्टी तो महात्मा गांधी जी के बताये हुए रास्ते के प्रति प्रतिबद्ध है।

12.00 बजे

महात्मा जी ने सबसे पहले हमारे दे ा का ध्यान इस ओर आकर्शित किया था। उन्होंने कहा था कि यदि हम विदे ाी खाद, जिसे कैमिकल फर्टेलाइजर कहते हैं, उपयोग करते हुए चले जायेंगे तो एक दिन आयेगा जब हमारी धरती की उर्वरा भाक्ति समाप्त हो जायेगी, फर्टीलिटी खत्म हो जायेगी। (विघ्न) सवाल सिर्फ फर्टीलिटी खत्म होने का नहीं रह जाता बल्कि इससे भी बड़ा है। पा चात्य जगत के अन्दर जहां पर इस किस्म के रसायनिक

खाद इस्तेमाल किये जाते हैं, वहां पर जल–पोलयू ान और वायु पोलयू ान की समस्या ख्चाड़ी हो रही है। जल पोलयू ान की समस्या तो मेरे विचार में अभी नहीं लेकिन वायु पोलयू ान की समस्या हमारे इस दे ा में खडी हो सकती है। इसलिए, मेरा राश्ट्र के जो कर्णधार है, उनसे निवेदन है कि इससे जो भी लाभ हो, उसको ध्यान में न रखें और जो जमीन की फर्टीलिटी है, उसको नश्ट होने से बचायें और जो यह रसायनिक खाद है, इसे कम से कम प्रोत्साहन दिया जाये। एक दूसरी बात जो मुझे यहां पर कहनी है वह यह है कि किसान को राहत पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि उसे बिजली रात के 8–9 बजने के बाद जब हम रजाइयों से बाहर नहीं निकल सकते, उस वक्त बेचारा किसान सर्दी के अन्दर ठिठुरता हुआ भागता है। हम देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बिजली रात को दी जाती है (व्यवधान) ..... रात के 9 बजे, 10 बजे और 12 बजे बेचारा बिजली की इन्तजार में बैठा रहता था। जब रूकका पड़ा कि गांव में बिजली आ गयी तो भाग कर बेचारा अपने खेत को भागता और जब वह भागकर वहां पहुंचता तो बिजली गायब। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए यह स्पश्ट रूप से कह देना चाहिए कि किसान को प्राथमिकता के आधार पर दिन में बिजली दी जायेगी और यदि किसी कारण से बिजली की कटौती करनी पड़ती है, बिजली में कमी पड़ती है, तो कारखानेदारों को या जो छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं, उनकी बिजली काटी जाये और उनको बिजली रात को दी जाये। यह नहीं होना चाहिए कि

कारखानेदारों को तो बिजली दिन के वक्त दी जाये और किसान को रात के वक्त बिजली दी जाये। मैंने पिछली सरकार के अन्दर देखा है कि किसान को रात के वक्त बिजली दी जाती थी। पिछली सरकार के साथ किसान का वास्ता रहा है और हमें पता है कि उसने किस बेरहमी के साथ, उस किसान के साथ जो अपने खून पसीने की कमाई से अनाज उगाता है, बर्ताव किया है। एक दूसरी बात यह है कि जब हम किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सोचते हैं तो मुझे एक बात और याद आती है जो कि सबसे बड़ी बात है। आपने देखा है कि 30 साल हो गये हमें यह देखते हुए कि सरकार ने छोटी–छोटी चीजों के बीमे का प्रबन्ध किया है। कारखानेदारों की छोटी से छोटी चीज के बीमे का प्रबन्ध किया गया है। उनके गोडाउन्ज का, उनके काम आने वाली म ीनों का और दूसरी सब चीजों का बीमा करने का प्रबन्ध किया गया है जो उन्हें चाहिए जैसे फैक्टरी की बिल्डिंग वगैरा के बीमें का भी प्रबन्ध किया गया है लेकिन आज तक भी किसान की फसल का बीमा करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। यहां तक कि कारखानेदारों के साइकिलों, स्कूटरों और कारों तक के बीमें का प्रबन्ध किया गया, मेरा कहने का मतलब यह है कि कारखानेदार, सरमायेदार या उद्योगपति जो भाहर में रहते हैं, उनके एक–एक पुर्जे का बीमा करने का प्रबन्ध किया गया। लेकिन जो बेचारा किसान जूझता हुआ, धरती के सीने को चीरते हुए अनाज पैदा करता है, उसके लिए आज तक ीाी कोई बीमें का प्रबन्ध नहीं किया। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जहां वह किसान के लिए उर्वरक का प्रबन्ध

हो जाना चाहिए क्योंकि आपको पता है उसकी फसल कभी ओले पड़ने से, तो कभी बाढ़ आने से और कभी सूखा पड़ने से नश्ट हो जाती है। इन प्रकृति प्रकोपों से उसे राहत दिलाने के लिए बीमा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इसके अलावा जब उसके प ाुओं को कोई भयानक बीमारी लग जाती है तो उसका बहुत नुकसान हो जाता है। यदि किसान के प ाुओं और फसल का बीमा करने का प्रबन्ध कर दिया जायेगा तो मैं सरकार का बहुत भाुक्रगुजार रहूंगा। मुझे पूरी उम्मदी है कि सरकार इस ओर पूरी तरह से गौर करेगी क्योंकि हम पूर्ण रूप से ईमानदार हैं और हम दे ा को ऊंचार उठाना चाहते हैं। अब मैं मांग संख्या 12 जोकि श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में हैं, के बारे में कुछ सरकार से अर्ज करना चाहता हूं। सरकार ने यह फैसला किया है कि 10 रूपये, जो हमारे औद्योगिक संस्थाओं में बच्चों को सिखाते हैं उनके रा–मैटीरियल यानी कच्चा माल की सुविधा देने के लिए दिये जाते थे, यह बढ़ाकर 25 रूपये किये गये हैं। यह बिल्कुल वाजिब मांग है। मैं इसका समर्थन करता हूं। भाायद यह 25 रूपये भी कम हों क्योंकि 10 रूपये तो उस वक्त नीयत किये गये थे जब आज से काफी जमाना सस्ता था। इसके साथ ही मैं सरकार से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो कच्चा माल विद्यार्थियों को, नौजवानों को औद्योगिक संस्थानों में दिया जाता है, उसका पक्का माल बनाकर बाजार में बेचा जाना चाहिये यह नहीं होना चाहिए कि कच्चा माल वेस्ट हो जाये। वहां पर जो भी काम सिखाया जाये, चाहे बढ़ई का हो, चाहे लौहार का या किसी और भी किस्म का

काम हो, वहां पर जो भी काम हो, उससे बने माल को बाजार में बेचने का प्रबन्ध होना चाहिए ताकि वह सामान बाजार में बेचा जा सके और इससे जो लाभ हो इससे हम उन बच्चों के लिये और कच्चा माल लेकर दे सकते हैं। हम 25 रूपये प्रति विद्यार्थी देना चाहते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से मैंने कच्चा माल को तैयार करके बेचने का सुझाव दिया है उस तरह से किया जाये तो उन विद्यार्थियों को 50 रूपये का कच्चा माल मिल सकता है। मैं समझता हूं कि यह जो किया जा रहा है यह नि चत रूप से विद्यार्थियों के फायदे में होगा। कच्चे माल पर जो खर्च आयेगा, वह पक्के माल के बेचने का प्रबन्ध करे पूरा किया जा सकता है। हमने जो विद्यार्थियों को सुविधा दी है, इस बात की निगरानी रखें कि जो तैयार माल है, वह बाजार में जाकर बिके और मै। तो यहां तक कहूंगा कि हमारी सरकार को डिपार्टमैंट्स को यह हिदायत देनी चाहिए कि वह इन संस्थानों से ही अपना माल खरीदें। इन भाब्दों के साथ मैं इन डिमान्डज का समर्थन करता हूं।

श्री जय नारायण वर्मा (कलानौर अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा हल्का कलानौर एक सबसे पिछड़ा हुआ हल्का है। पिछली सरकार ने भी वहां पर माईनर के बारे में एक सर्वे किया था जोकि 5–4 गांव को कवर करता था। वहां पर 5–6 हजार एकड़ भूमि, इतनी उपजाऊ भूमि बेकार पड़ी है जिसकी मैं बड़ाई नहीं कर सकता। वह जमीन भूमि इतनी उपजाऊ भूमि बेकार पड़ी है कि जिसकी मैं बडाई नहीं कर सकता। वह जमीन पानी के

बिना बेकार पड़ी है। वहां पर हर साल जमींदार की ऐसी हालत हो जाती है कि वह अपना पेट भी नहीं भर सकता। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उन गरीब किसानों के लिए पानी का प्रबन्ध जल्द से जल्द किया जाये। पिछली सरकार ने वहां पर पक्की नालियां बनायी थीं, वह तो अभी तैयार भी पूरी तरह से नहीं हुई, वह टूटने लग गयी हैं और उस वजह से जमींदार के ऊपर जो लगान लगा रखा है वह बहुत ही ज्यादा है। इस विशय में मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि सोच–विचार करके कोई जल्दी से जल्दी फैसला करने की कोि ा ा की जाये।

जय हिन्द।

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमान्ड नं. 12 लेबर एएड ऐम्पलायमैंट के बारे में अपने मंत्री महादेय से यह प्रार्थना करूंगा कि जैसे कि उन्हें पता ही है कि पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है और वहां पर 25000 के करीब हैंडलूम्ज लगे हुए हैं। यह एक कौटेज इंडस्ट्री है। वहां पर हर घर मे हैंडलूम की इंडस्ट्री लगी हुई है। वहां पर जो करीगर काम करते हैं, हैंडलूम के कारीगरों को उनकी मेहनत के अनुसार मेहनताना मिलता है। यानी एक कारीगर यदि एक खड्डी वाले के पास काम करता है तो भाामके वक्त तक जितना कपड़ा वह तैयार करके दे देता है, उसको उसी हिसाब से पैसे दे दिये जाते हैं। अगर एक खड्डी वाले के पास काम खत्म हो जाये तो वह कारीगर दूसरी खड्डी वाले के पास जाकर काम करता है।

खड्डियों के कारीगर सारे किस्म के कपड़े तैयार नहीं कर सकते। कोई किसी चीज का माहिर होता है ओर कोई किसी चीज का माहिर होता है। एक आदमी के पास एक किस्म का आर्डर नहीं आता है। लेबर महकमें के आपके कर्मचारी वहां जाकर मालिकान को तंग करते हैं और उनसे कहा जाता है कि जहां दस से ज्यादा कारीगर हैं वहां लेबर की हाजिरी लगाई जाए, उनके प्रोविडेन्ट फंड का इन्तजाम किया जाए। वे अपने आपको रजिस्टर कराएं। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि खड्डियों के कारीगर कभी दो या तीन दिन के लिए और कभी चार या पांच दिन के लिए आते हैं। यह कैसे हो सकता हैं कि उनको पक्के तौर पर एम्पलाए किया जाए। जैसा जनता सरकार ने कहा है कि हम करप्शन को दूर करेंगे लेकिन आपके कर्मचारी उन कारखानेदारों के पास जाते हैं जहां दस आदमी से ज्यादा बैठे होंगे और आपके वे कर्मचारी तब तक वापिस नहीं आएंगे जब तक कि कारखानेदार आपके बैठे होंगे और आपके वे कर्मचारी तब तक वापिस नहीं आएंगे जब तक कि कारखानेदार आपके कर्मचारियों की सेवा नहीं करेगा। हैंडलूम की इंडस्ट्री में कभी भी साल भर काम नहीं चलता रहता। दस दिन या पांच दिन का काम होता है। अगर सरकार ने कोई आदेश निकाले हैं तो मेरी प्रार्थना है कि वह उन आदेशों को वापिस ले और स हैंडलूम इंडस्टरी के काम में बाधा न डालें।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): डिप्टी स्पीकर साहब, आज सदन में सप्लीमैन्टरी और उसकी डिमान्डज पर पिछले कुछ घन्टों से विचार चल रहा है। माननीय सदस्यों ने अपने बोर्ड के बारे में कहा है कि जो एक लाख रूपया इनको दिया जा रहा है वह नहीं मिलना चाहिए। सरकार को धार्मिक कामों में एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। भाायद आनरेबल सदस्य आर्गुमैंट करते हुए यह भूल गए कि यह एक सैकुलर स्टेट हैं। मैं नम्रतापूर्वक उसका ध्यान दिलाऊं कि कुरूक्षेत्र केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संसार के लिए भी बड़ा पवित्र और आदरणीय स्थान है जहां पर भगवान कृश्ण ने अर्जुन को उपदे ा दिया था। डिप्टी स्पीकर साहब, 1968 में कुरूक्षेत्र के विकास के लिए, उसके ठीक रख रखाव के लिए और उसको ठीक प्रकार से रखा जाए, इस काम के लिए एक बोर्ड बना था और वह बोर्ड सदा सरकार से पैसा लेता रहा। अब हमने यह प्रावधान किया है कि वह चन्दा इकट्ठा कर सके उसके लिए बोर्ड ने एनडाउमेन्ट फंड क्रिएट किया है और सरकार की ओर से यह एक लाख रूपया अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। जो और चीजों से उनाके लाभ होगा उसके अलावा एक लाख रूपया ओर दिया गया है। भगवान को स्मरण करने के भिन्न–भिन्न तरीके हैं। गुरूद्वारे हैं, मस्जिद हैं, मन्दिर हैं, चर्च हैं और हम सब को पैसा दे देंगे ऐसा माननीय सदस्य का विचार था। मैं आदरणीय सदस्यों को आ वासन देना चाहता हूं कि हमारे सदन की जो भावना है उसके विपरीत हम कोई भी बात नहीं करेंगे। (इस समय सभापतियसों की सूची में से एक सदस्य चौधरी

खुर ाीद अहमद पदासीन हुए) केवल मात्र ऐतिहासिक और एक पवित्र स्थान के विकास के लिए यह रूपया अनुदान के रूप में दिया गया है। यहां पर ग्रहण्सा के समय लाखों तीर्थ यात्री यहां से तथा बाहर से आत रहे हैं। अगर वहां पर गन्दगी होगी, किसी चीज का ठीक से इन्तजाम नहीं होगा, तालाब गन्दे होंगे तो देखने से मन में श्रद्धा नहीं होगी, चेयरमैन साहब, किस के ऊपर यह रिफलेक ान होगा ? यह रिफलेक ान प्रदे ा की जनता के ऊपर, प्रदे ा की सरकार के ऊपर होगा। सरकार का यह बिलकुल उचित कदम है और माननीय सदस्य को इसको ऐप्रीि ाएट करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी सप्लीमेन्टरी ऐस्टीमेट में एक बात लेबर एंड एम्पलायमैंट के हैड के नीचे आ गई। वह वास्तव में इंडस्ट्रियल ट्रैनिंग की बात थी उसमें हमने 19 लाख, 2 हजार, 725 रूपया मांगा है। मैं कई मित्रों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि सप्लीमेन्टर बजट पर अपने विचार कैसे रखने चाहिए लेकिन मेरे कुछ मित्र नए हैं। उन्होंने देखा कि लेबर लिखा हुआ है तो उस पर ही बोलना भाुरू कर दिया। होना यह चाहिए कि सप्लीमेन्टर ऐस्टीमेट्स के जिस आइटम के लिए सरकार ने पैसा मांगा है उसी आइटम पर आनरेबल मैम्बर कमेन्ट करे और उससे बाहर न जाएं। मुझे उम्मीद है कि भविश्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्री भाम ेर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, चेयरमैन साहब। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विधायकों की ट्रैनिंग के लिए असैम्बली के सिवाए और कोर्ठ इंस्टीच्यू ान है जहां ट्रैनिंग मिल सके। सरकार तीन चार दिन का सै ान चलाएगी तो मैम्बर कैसे कोई चीज सीख सकते हैं ?

डाक्टर मंगल सैनः चेयरमैन साहब, अच्छा हुआ कि मछली खुद ही जाल में फंस गई। चौधरी भाम ेर सिंह मेरे एक अच्छे मित्र है। जिस पार्टी से वे ताल्लुक रखते हैं वह पार्टी जब इन–पावर थी तो सै ान सुबह से भुरू होता था और राम के दो बजे तक चलता था। जमहूरियत का जनाजा आपके दोस्तों ने निकाला लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको बोलने की पूरी छूट है लेकिन आप तीन मिनट से ज्यादा नही ंबोले। आप तैयार होकर नहीं आते। अपोजी ान के मेरे दोस्तों को फ्री स्टाइल से नहीं बोलने दिया जाएगा। असैम्बली ट्रैनिंग की जगह जरूर है लेकिन जो परम्पर कांग्रेस ने डाली थी वह परम्परा हम नहीं डालेंगे। अब रीयल डेमोक्रेसी है। यह डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में है .....

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, चेयरमैन साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब, इन डिमान्ड्ज की रिप्लाई दे रहे हैं या इन्टरवीन कर रहे हैं ?

श्री सभापतिः कुछ बातें जो आप कहते हैं उनका जवाब दे रहे हैं।

डाक्टर मंगल सैन: चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि स्वाधीनता से पहले जो बच्चे, जो विद्यार्थी मां–बाप के कंट्रोल में नहीं होते थे उनको इंडस्ट्रियल ट्रैनिंग इंस्टीच्यू ान में भेज दिया जाता था। मां–बाप यह सोचते थे कि वहां जाकर हथौड़े चलाएगा, दूसरे मेहनत का काम करेगा तो ठीक हो जाएगा लेकिन अब दृश्टिकोण बदल गया है। विकसित राश्ट्र में यह बहुत आव यक है कि जहां इंडस्ट्रियल विकास हो रहा है उसके साथ–साथ औद्योगिक विकास प्र ाक्षण दिया जाए। पिछली सरकार ने घिसे पिटे ट्रेड रखे हुए थे लेकिन जब से जनता पार्टी की सरकार आई है हमने दृश्टिकोण बदल दिया है और हमने यह प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि इस समय हरियाणा में और हरियाणा के निकटवर्ती राज्यों में जिन ट्रेडज के कारखाने लग रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, हरियाणा के नवयुवकों को, हरियाणा के विद्यार्थियों को भी उन ट्रेडज का प्र ाक्षण दिया जाए। चाहे आधुनिकतम म ीनें हमे क्यों न मंगानी पड़ें, इसके ऊपर चाहे कितना रूपया क्यों न खर्च करना पड़े, हम समझते हैं कि हरियाणा के नवयुवक की बेकारी को दूर करने के लिए, पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और मार्किट में सकिल्ड और अनसकिल्ड लोगों की बेकारी को दूर करने के लिए यह एक माध्यम है जिसे हम जरूर पूरा करेंगे जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। हम जब यह बात कह चुके हैं कि हम प्रदे ा से बेकारी दूर करेंगे तो इस दि ाा मैं यह हमारा पहला कदम है कि औद्योगिक प्र ाक्षण केन्द्रों के अन्दर उनके विकास के लिए नयी नयी

म ाीनें लाकर नये–नये ट्रेड इंट्रोड्यूस करके जिनकी आज मार्किट में आव यकता है, उनको लाए। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मित्रों नेइस बात को भली प्रकार से समझकर ऐप्री ाीएट किया है। हमारे प्र ि ाक्षण केन्द्रों में प्र ि ाक्षण प्राप्त करने वालों को पहले कच्चे माल के लिए 10 रूपये देने का प्रतिमास के हिसाब से उपबन्ध था जिसे कि अब 25 रूपये प्रति मास किया जा रहा है। यह हमने इसलिए किया है कि यह जो कच्चा माल है यह जब रिफाइन होकर मार्किट में आयेगा तो उससे आमदनी होती है और यह काम क्रम ाः चलता रहेगा। अच्छे सुझाव जो हैं चाहें वे ट्रेजरी बैंचिज की तरफसे आएं या अपोजी ान की तरफ से आएं हम उनका हमे ाा आदर करेंगे, यह जनता की सरकार है। हम अच्छे भले काम में सब का सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। (विघ्न) चेयरमैन साहब, इसके इलावा मरे आदरणीय दोस्त ठाकुर वीर सिंह जी ने एक नयी दि ाा देने वाली बात कही है कि इन आई.टी.आईज. के साथ साथ वर्क ाापस भी बनायी जाएं जिनके द्वारा उत्पादन करके मार्किट में माल बेचा जाए। यह बड़ा अच्छा सुझाव है और इसकी फिजीविलिटी के बारे में विचार किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को आ वासन देना चाहता हूं कि पहली सरकार की गल्त आर्थिक नीतियों के कारण यह जो बेरोजगारी, बेकारी और भुखमरी बढ़ी जोकि सारी बीमारियों की जननी है, हम इसको समाप्त करके इस प्रदे ा को खु ाहाल बनाने की कोि ा ा करेंगे और साथ ही साथ संसार में साईस और टैक्नोलोजी का जो विकास हो रहा है

उसके अनुसार हरियाणा का विकास करेंगे और यहां की आई.टी. आईजकृको अप टू दा मार्क बनाने की कोि ा ा करैंगे जोकि समय के अनुसार हो। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सभापतिः अब फायनैन्स मिनिस्टर साहब बोलेंगे।

वित मंत्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक): चेयरमैन साहब ..... (इस समय श्री भांकर लाल तथा दो तीन और सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री सभापतिः अब तो वजीर खजाना बहस का जवाब देंगे। उनके बाद गिलोटिन ऐप्लाई होगा। अब समय नहीं है।

कामरेड भांकर लालः चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब ने मुझे टाईम दैने के लिए कहा था मैं एक दो बाते अपनी कहना चाहता हूं।

श्री सभापतिः आपको बोलने के लिए अभी बहुत टाईम लगेगा। आप और मौके पर बोल लेना अब फायनेन्स मिनिस्टर साहब अपना जवाब देंगे।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः चेयरमैन साहब, अनुपूरक अनुमान 1977–78 के द्वारा सरकार ने कुल रा ि ा 3 करोड़ 27 लाख रूपये की मांगी है जिसके अन्दर मांग संख्या 11, 12 और 17 वोटिड है। मांग संख्या 11, 12 के मुताल्लिक मेरे साथी डाक्टर

मंगल सैन जी ने सरकार की नीति साफ कर दी ै और जहां तक मांग नम्बर 17 का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे कुछ साथियों ने भी कहा था कि हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदे ा है और इसकी 80 परसैन्ट जनता देहात में रहती है जोकि खेती पर निर्भर करती है। जनता पार्टी के घोशणापत्र में भी यह बात थी कि हम कृशि को प्राथमिकता देंगे और इसी चीज को मद्देन्जर रखते हुए हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि फर्टीलाइजर के ऊपर सबसिडी दी जाएगी और इसी कारण से 1 करोड़ 27 लाख रूपये की यह मांग सदन के सामने रखी गई है। राव साहब ने अपनी स्पीच करते वक्त यह खद ा जाहिर किया कि कहीं यह रूपया, जोकि सबसिडी के लिए मांगा जा रहा है, मिस यूज न हो। मैं उनको तथा इस सदन को आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि जब तक खजाने की चाबी मेरे हाथ में है तब तक किसान के बेटे के हाथ में चाबी हो तो वह कभी भी उस पैसे को मिस यूज नहीं होने देगा। यह जो खाद हम किसानों को सबसीडाइजड रेट्स पर देंगे यह सारी चीज सोच समझ कर करेंगें और बी.डी.ओज. वगैरह की मारफत देंगे ताकि किसी किस्म का घपला न हो सके।

चेयरमैन साहब, राव साहब ने अपनी स्पीच में आगे मद नम्बर 18 के बारे में कहा लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह जो पैसा मांगा जा रहा ह यह तो पुरानी सरकार का बाकी का रूपया था। अब हमारे पास ए.जी. की रिपोर्ट आई कि सरकार

ने इतना पया पे करना है। इनमें जैसे कोर्ट की डिग्रियां हैं उनके बारे में बजट के समय कोई सूचना नहीं मिली थी अब उनकी सूचना मिली है तो यह रकम हमें अदा करनी पड़ेगी इसलिए यह मांग रखनी पड़ी। इसके बाद मेरे भाई श्री गंगाराम जी ने कहा कि जहां खाद के ऊपर सबसिडी दी जाती है वहां किसानों को ट्रैक्टर और बीज के लिए भी सबसिडी दी जानी चाहिए। उनका यह सुझाव अच्छा है लेकिन जैसे मैंने कल भी स्पश्ट किया था कि हमारी वितीय स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि इसको पुरानी सरकार बिगाड़ गई थी। इसलिये ट्रैक्टरों और बीज के लिए हम सबसिडी नहीं दे सकते। हां, जहां पर फ्लड्ज की वहज से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर अगर हमारी वितीय स्थिति अच्छी रही तो बीज पर सबसिडी देने का विचार करेंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब सरकार की वितीय स्थिति अच्छी हो जायेगी तो ट्रैक्टरों पर भी सबसिडी देने के लिए सोच सकते है। इसके बाद भाई पोहलू जी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार रूपये की डिमांड करती हैं और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री इतनी बड़ी–बड़ी कोठियों मे रह रहे हैं जिनका कि किराया बहुत देना पड़ता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी कोठियों में तो कांग्रेसी मिनिस्टरों को रहने का स्वाद था हम तो छोटी कोठियों में गुजारा करने वालों में से है। जैसे मैं अपना ही बता देता हूं कि मैं फायनेन्स मिनिस्टर होने के नाते भी सात सैक्टर में डिप्टी मिनिस्टर वाली कोठी में रह रहा हूं, इसलिए ह खुद भी अपने पैसे का कम खर्चा करते हैं। इसके बाद यह ऐलीगे ान

आया कि मिनिस्टर साहेबान टूर बहुत ज्यादा करते है। इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मंत्री महोदय का आदे ा ै कि कोई भी मंत्री महीने में 10 दिन से ज्यादा टूर पर नहीं रहेगा।

चेयरमैन साहब, इसके बाद स्वामी अग्निवे ा जी तथा सरदार सुखदेव सिंह जी ने सुझाव दिया कि हमें फर्टीलाईजर की बजाये गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, यह उनका सुझाव बहुत अच्छा है। हम कोि ा ा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गांव में गोबर गैस प्लांट लगाए जाएं और उनके लिए हम सबसिडी भी देते हैं। क्योंकि राज्य एक कृशि प्रधान राज्य है इसलिए हम हर सम्भव कोि ा ा करते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहुलियात दी जाएं ताकि वह ज्यादा उत्पादन करें और हमारा हरियाणा खु ाहाल हो। इन भाब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इन मांगों को पास किया जाए।

Mr. Chairman: Now I will put the various demands to the vote of the House.

Question is:-

That a supplementary sum not exceding Rs. 100000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for te year ending 31st March, 1978, in respect of Demand No. 11 – Urban Development.

That a supplementary sum not exceding Rs. 1902725 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for te year ending 31st

March, 1978, in respect of Demand No. 12 – Labour and Employment.

The motion was carried.

Mr. Chairman: Question is:-

That a supplementary sum not exceding Rs. 12700000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for te year ending 31st March, 1978, in respect of Demand No. 17 – Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Chairman: The house stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

12.32 बजे

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 19th October, 1977.)